भारत 2023 के लिए मानवाधिकार रिपोर्ट

कार्यकारी सारांश

वर्ष के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी और मेइतेई नृजातीय समूहों के बीच जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप, मानवाधिकारों का व्यापक हनन हुआ। मीडिया ने बताया कि दिनांक 03 मई से 15 नवंबर के बीच कम से कम 175 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक विस्थापित हुए। कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों के विनाश के अलावा सशस्त्र संघर्ष, बलात्कार और मारपीट की जानकारी दी। सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया, दैनिक कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट बंद किया। उच्चतम न्यायालय ने हिंसा को रोकने में केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार की विफलता की आलोचना की और हिंसा की घटनाओं की जांच करने और मानवीय सहायता पहुंचाने और घरों और पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया।

महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में निम्नवत विश्वसनीय जानकारियां शामिल थी: मनमानी या गैरकानूनी हत्याएं, जिनमें बिना मुकदमा चलाए हत्याएं करना शामिल हैं; व्यक्ति को जबरन गायब करना; यातना या क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक व्यवहार अथवा सरकार द्वारा सजा; जेल की कठोर और जानलेवा स्थिति; मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत; राजनीतिक कैदी या बंदी; किसी दूसरे देश में व्यक्तियों के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय दमन; गोपनीयरूप से मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप; एक रिश्तेदार द्वारा कथित अपराधों के लिए परिवार के सदस्यों को सजा।

संघर्ष में गंभीर दुर्व्यवहार, जिसमें कथित रूप से गैरकानूनी या बड़े पैमाने पर नागरिकों की मृत्यु अथवा क्षति, यातना, शारीरिक दुर्व्यवहार और संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा या सजा शामिल है; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध, जिसमें पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा या हिंसा की धमकी, पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी या अभियोजन, अभिव्यक्ति का दमन, और अभिव्यक्ति पर शिकंजा कसने के लिए आपराधिक परिवाद कानूनों को लागू करने या लागू करने की धमकी शामिल है; इंटरनेट की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध; शांतिपूर्ण तरीके से जुटने की स्वतंत्रता और संघों से जुड़ने की स्वतंत्रता के साथ व्यापक हस्तक्षेप; किसी राज्य की सीमा के भीतर आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता और देश छोड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध; सरकारी भ्रष्टाचार; घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार

संगठनों पर गंभीर सरकारी प्रतिबंध अथवा उत्पीड़न; घरेलू अथवा जीवनसाथी के साथ हिंसा, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर हिंसा, बाल विवाह, कम आयु में विवाह और जबरन विवाह, महिलाओं के जननांग विकृत करना/ काटना, स्त्री हत्या, और इस प्रकार की हिंसा के अन्य रूप जिसमें व्यापक लिंग आधारित हिंसा शामिल हैं; नृजातीय और जातिगत अल्पसंख्यकों के सदस्यों को लक्षित करने वाली हिंसा या हिंसा की धमकी से जुड़े अपराध; और समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी, 'ट्रांसजेंडर', 'क्वीर' अथवा मध्यलिंगी व्यक्तियों को लक्षित कर हिंसा या हिंसा की धमकी से जुड़े अपराध शामिल हैं।

सरकार ने मानवाधिकारों का हनन करने वाले अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए न्यूनतम विश्वसनीय कदम उठाए।

जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और माओवादी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादियों ने सशस्त्र बलों के कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की हत्याओं और अपहरण सहित गंभीर दुर्व्यवहार किए।

भाग 1. व्यक्ति की सत्यनिष्ठा का सम्मान

क. मनमाने ढंग से जीवन जीने से वंचित करना और अन्य गैरकानूनी या राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याएं

इस वर्ष ऐसी अनेक समाचार प्राप्त हुए कि सरकार या उसके एजेंटों ने न्यायेतर हत्याओं सहित मनमानी या गैरकानूनी हत्याएं की। अक्सर मीडिया रिपोर्टों में पुलिस या सुरक्षा बलों के हाथों आरोपी व्यक्तियों की कथित रूप से फर्जी हत्याओं को "मुठभेड़ के दौरान होने वाली हत्या" के रूप में वर्णित किया जाता है।

ऐसे आरोप थे कि पुलिस अथवा जेल गार्ड ने कैदियों की हत्याएं की और इन हत्याओं को कभी-कभी आत्महत्या या प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। 05 फरवरी को पुलिस ने जानवरों के अवैध शिकार के आरोपी धनेश्वर बेहरा को ओडिशा के कटक जिले में हिरासत में मार गिराया था। दिनांक 06 फरवरी को, ओडिशा वन विभाग ने मृत्यु में शामिल होने के लिए छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बेहरा की मौत की जांच की और 27 अगस्त को ओडिशा सरकार को सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के लिए बेहरा के परिजनों को

मुआवजा देने का निदेश दिया।

प्रेस ने बताया कि दिनांक 15 अप्रैल को अपने आपको पत्रकार बताने वाले तीन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के एक दोषी पाए गए कैदी और पूर्व सांसद अतीक अहमद, जिन पर ग़ुडागिरी का आरोप था, उन्हें और उनके भाई अशरफ को गोली मार दी। गोलीबारी को कैमरे में दर्ज किया गया और टेलीविजन पर सीधा प्रसारित किया गया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गोली मारने के आरोप में तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्यायेतर हत्याओं की खबरें इतनी व्यापक हो गई थी कि उच्चतम न्यायालय ने 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस से वर्ष 2017 से राज्य में असाधारण हिंसा के 10,900 से अधिक मामलों में से 183 हत्याओं की जांच के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ को पुलिस ने अंजाम दिया है। दिनांक 30 सितंबर को, इस जांच के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि अतीक और अशरफ अहमद की मौतों की जांच में पुलिस की कोई गलती नहीं पाई गई।

दिनांक 31 जुलाई को, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी और बाद में तीन लोगों की हत्या कर दी, जिनकी पहचान मुंबई के पास एक ट्रेन में मुस्लिम के रूप में की गई थी, जिन्हें उनकी वेशभूषा के आधार पर निशाना बनाया गया था। सिंह ने उन्हें गोली मारने से पहले तीन लोगों के विरूद्ध दिए गए घृणास्पद भाषण के आधार पर तीनों लोगों के परिवार के सदस्यों ने इस घटना को "घृणा अपराध" और "आतंक का कृत्य" कहा। पुलिस ने सिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।

देश में वर्ष 2016 से 2022 के बीच न्यायेतर हत्याओं के 813 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक मामलों की छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त हुई, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए 813 मामलों में से जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में एक सैन्य अधिकारी को दोषी ठहराया गया था।
मार्च में, एक सैन्य न्यायालय ने जुलाई, 2020 में जम्मू और कश्मीर के अमशीपुरा में तीन व्यक्तियों की "रची गई मुठभेड़" के लिए एक कप्तान को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास का दंड दिया गया। दिनांक 15 नवंबर तक यह दंड लंबित रहा ।

जम्मू और कश्मीर, देश के पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी बलों और

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा हत्याओं किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

ख. व्यक्तियों का लापता होना

सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अथवा उनकी ओर से व्यक्तियों के लापता हो जाने की रिपोर्टें थी, पुलिस, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए अपेक्षित गिरफ्तारी रिपोर्ट दायर करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति, लापता हो गए, ऐसे मामलों को सुलझाया नहीं जा सका। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्य सरकार की स्क्रीनिंग समितियों ने बंदियों की स्थिति के बारे में परिवारों को सूचित किया। ऐसी खबरें थी कि रिश्तेदारों की हिरासत की पुष्टि करने के लिए जेल गार्ड उनके परिवारों से कभी-कभी रिश्वत भी लेते थे।

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, वर्ष 1989 से 2006 के बीच जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में लगभग 8,000 से 10,000 व्यक्ति लापता हुए, जिसका पीछे कथित- तौर पर सरकारी बलों, अर्धसैनिक बलों और आतंकवादियों का हाथ बताया गया। वर्ष 2006 के बाद से जम्मू और कश्मीर में लापता होने वाले व्यक्तियों का डेटा सीमित था। प्रेस ने बताया कि अब्दुल रशीद डार का शव दिनांक 01 मार्च को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बरामद किया गया था। सैनिकों ने दिसंबर, 2022 में डार को हिरासत में लिया और उनके परिवार के अनुसार, वह हिरासत में लिए जाने के बाद लापता हो गए। डार का शव बरामद करने के बाद उसके परिवार ने सेना पर डार को जबरन गायब करने और हिरासत में उसकी हत्या करने का आरोप लगाया डार के मामले में शामिल सेना की यूनिट ने पुलिस को बताया कि पूछताछ के दौरान डार भाग गया था।

दिनांक 24 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के 'वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड ऑर इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस' तथा मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने कश्मीरी मानवाधिकार रक्षकों के साथ सरकार के व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की और उनके विरूद्ध जांच बंद करने और उनकी रिहाई का आह्वान किया। प्रतिवेदकों ने कश्मीर में बड़ी संख्या में अचिह्नित एकल और सामूहिक रूप से दफनाने के स्थलों की पहचान, संरक्षण और परिरक्षण के अभाव के संबंध में सतत् रूप से लगाए जा रहे आरोपों का उल्लेख किया, जिसमें उचित न्यायालयी जांच करने में विफलता, जबरन लापता हुए लोगों की खोज करने के प्रयास और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, वहां दफनाए गए व्यक्तियों के अवशेषों की

पहचान करने में हुई प्रगति का अभाव शामिल है। प्रतिवेदकों ने उल्लेख किया कि वे मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों सहित व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों के विरूद्ध धमकी और उत्पीड़न की रिपोर्टों से चिंतित थे, जिन्होंने जांच करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया था।

ग. यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड और अन्य संबद्ध अनुचित व्यवहार

कानून, इस प्रकार की पद्धतियों को वर्जित करता है लेकिन ऐसी पुष्ट रिपोर्टें थी कि सरकारी कर्मचारियों ने उनका उपयोग किया था। कानून, प्राधिकारियों को सबूत के स्वरूप जबरन स्वीकारोक्ति को अनुमति नहीं देता है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित संयुक्त राष्ट्र और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने आरोप लगाया कि प्राधिकारियों ने जबरन स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए यातनाओं का उपयोग किया।

अधिकारियों ने कथित तौर पर पैसे वसूलने अथवा छोटे-मोटे उल्लंधन के लिए दंड के रूप में यातना का भी इस्तेमाल किया। ऐसी खबरें थी कि पुलिस पिटाई के परिणामस्वरूप कैदियों की हिरासत में मौतें हुईं। ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्षिक विश्व रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने जबरन या झूठी स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए यातना, अन्य दुर्व्यवहार और मनमाने ढंग से हिरासत जैसे हथकंडों का उपयोग किया। कुछ मामलों में, पुलिस ने कथित तौर पर अपनी गिरफ्तारी दर्ज किए बिना संदिग्धों को पकड़ लिया और बंदियों को पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच से वंचित कर दिया।

पुलिस द्वारा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड की अन्य रिपोर्टें थी। दिनांक 18 जुलाई को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को मधेपुरा जिले में मीडिया के सामने हथकड़ी लगाकर परेड कराए गए छह व्यक्तियों में से प्रत्येक को 25,000 रुपये (300 डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया था। इन व्यक्तियों में दो बच्चे भी थे, जिन्हें वर्ष 2021 में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, आयोग ने तत्कालीन मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक के आचरण की निंदा की, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनके आचरण के माध्यम से व्यक्तियों को हथकड़ी लगाकर और व्यक्तियों की तस्वीरें प्रकाशित करके आरोपी व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने भविष्य में राज्य सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करने का भी आदेश दिया।

पुलिस अधिकारियों को बलात्कार के आरोपों में भी फंसाया गया था, जिसमें पुलिस हिरासत में पीड़ित भी शामिल थे। सरकार ने एनएचआरसी को पुलिस अधिकारियों से जुड़े बलात्कार के मामलों की जांच के लिए अधिकृत किया। जून माह में, एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार से दो पुलिस कर्मियों सहित तीन व्यक्तियों द्वारा 21 वर्ष की आयु की एक महिला के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। गैर सरकारी संगठनों ने दावा किया कि एनएचआरसी के आंकड़ों में पुलिस हिरासत में किए गए बलात्कारों की संख्या को कम करके बताया गया है, और कुछ बलात्कार पीड़ित सामाजिक कलंक और चूंकि अपराधी एक पुलिस अधिकारी या अधिकारी था इसलिए, प्रतिशोध लिए जाने के डर से अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी खबरें भी थी कि पुलिस अधिकारियों ने बलात्कार के मामले दर्ज करने से भी इनकार कर दिया।

जेल और निरूद्ध केंद्रों के हालात

जेल की स्थिति अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त स्वच्छता की स्थिति, चिकित्सा देखभाल की कमी के चलते कॉफी सख्त और जीवन के लिए खतरा थी।

अत्यंत खराब वास्तविक स्थितियां: कारागारों में अक्सर अत्यधिक भीड़ होती थी। वर्ष 2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) के अनुसार, 2021 में कारागारों में औसत राष्ट्रीय अधिभोग दर 130 प्रतिशत थी।

सामान्यत: कारागारों में भोजन, चिकित्सा देखभाल, स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति अपर्याप्त थी। पीने योग्य पानी सभी जगह उपलब्ध नहीं था। जेलों और निरोध केंद्रों को आवश्यकता से कम वित्तपोषित किया जाता था और कम कर्मचारियों से काम चलाया जाता था, और उनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी थी। कैदियों के साथ कभी-कभी शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता था। कानून के अनुसार, पुनर्वास सुविधाओं में किशोरों को हिरासत में रखा जाना अपेक्षित था परंतु, अनेक बार अधिकारियों ने विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरों को वयस्कों के लिए बने कारागारों में हिरासत में रखा।

प्रशासन: ऐसी खबरें थी कि पुलिस और जेल अधिकारी, सामान्यत: हिरासत के दौरान की जाने वाली हिंसा की निगरानी करने हेतु नियमित जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं। तथापि, अधिकारियों ने कैदियों को राष्ट्रीय और

राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी, लेकिन आयोग के अधिकारियों ने केवल सिफारिशें ही की। संपूर्ण वर्ष के दौरान, एनएचआरसी ने मानवाधिकारों के हनन के संबंध में कैदियों की शिकायतें प्राप्त की और उनकी जांच की। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि कुछ कैदियों ने जेल गार्ड अथवा अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध लिए जाने के डर से शिकायत दर्ज कराई।

स्वतंत्र निगरानी: एनएचआरसी ने अनेक राज्यों में राज्य के कारागारों की निगरानी के लिए अघोषित दौरे किए। न ही एनएचआरसी और न ही 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स', जोकि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले सरकारी संस्थान हैं, को अपने निष्कर्षों पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जारी करना अपेक्षित था। एनएचआरसी का अधिकार क्षेत्र सैन्य निरोध केंद्रों तक विस्तारित नहीं था।

घ. मनमाने ढंग से गिरफ्तारी अथवा निरूद्ध करना

कानून मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत पर प्रतिबंध लगाता है और किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी या नजरबंदी की वैधता को न्यायलय में चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है। सरकार ने आमतौर पर इन अपेक्षाओं का पालन किया, लेकिन मनमानी गिरफ्तारी की अनेकानेक रिपोर्टें सामने आईं और ऐसे अनेक उदाहरण थे जहां पुलिस ने गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा को स्थगित करने के लिए विशेष कानूनों का उपयोग किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कानूनी सुरक्षोपायों का अभाव और अत्यधिक बोझ और कम संसाधनों से चलने वाले न्यायालयों के कारण लंबी मनमानी हिरासतें एक महत्वपूर्ण समस्या बनी रही।

गिरफ्तारी की प्रक्रियाएं और बंदियों से व्यवहार

जब तक कि प्राधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों, आतंकवाद या विद्रोह से संबंधित चिंताओं के लिए निवारक निरोध कानून के तहत संदिग्ध को गिरफ्तार न किया हो, तब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में लेती है, तो वे उस व्यक्ति को 30 दिनों तक बिना कोई आरोप तय किए हिरासत में रख सकते हैं, और न्यायालय, व्यक्ति पर आरोप दायर करने से पूर्व 90 दिनों तक की अवधि के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दे सकती है। मानक दंड प्रक्रिया के तहत, यदि 90 दिनों तक आरोप दायर नहीं किए गए तो अधिकारियों द्वारा आरोपी को 90 दिनों के बाद जमानत पर रिहा करना आवश्यक था; तथापि, न्यायालय इस अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा सकती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस को सुरक्षा के लिए जोखिम समझे जाने वाले व्यक्तियों को बिना किसी आरोप अथवा मुकदमे के एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति प्रदान की। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम केवल जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है और यह अधिकारियों को परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बिना दो वर्ष तक बिना किसी आरोप तय किए अथवा न्यायिक समीक्षा किए, व्यक्तियों को हिरासत में रखने की अनुमति देता है। प्रेस ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से फरवरी तक जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 800 से अधिक व्यक्ति हिरासत में रहे, जिसमें वर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए 22 व्यक्ति भी शामिल हैं। ऐसी रिपोर्टें थी कि सरकार ने दो वर्ष की कारावास की समाप्ति पर तुरंत नए निरोध आदेश जारी किए, प्रभावी रूप से परीक्षण के बिना अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण, विदेशी नागरिक अक्सर अपने दंड की समाप्ति होने पर भी कारावास भोगते रहते थे, जिनमें अनियमित रूप से देश में प्रवेश करने अथवा निवास करने के लिए आव्रजन अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति भी शामिल थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से मिलने की अनुमति दी गई और अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर अथवा असाधारण परिस्थितियों में 15 दिनों तक हिरासत के आधार के बारे में सूचित करना अपेक्षित था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे उदाहरणों को नोट किया जहां इन उपबंधों का पालन नहीं किया गया था। विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) ने अधिकारियों को उग्रवाद और आतंकवाद से संबंधित मामलों में व्यक्तियों को बिना किसी आरोप के 180 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति प्रदान की। यूएपीए में जमानत के कड़े प्रावधान थे, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन पर आतंकवादी होने का संदेह है। राज्य सरकारों ने भी कथित रूप से यूएपीए के तहत औपचारिक आरोप दायर करने से पहले लंबी अवधि के लिए बिना जमानत के व्यक्तियों को हिरासत में रखा था। नागरिक समाज संगठनों ने चिंता व्यक्त की कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों और पत्रकारों को निशाना बनाने और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल किया।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत, केंद्र सरकार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या किसी भी क्षेत्र के भाग को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित कर सकती है और राज्य में सुरक्षा बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक बल

का उपयोग करने और ऐसे किसी व्यक्ति जिसके विरूद्ध पहले से ही एक उचित संदेह हो, को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकृत कर सकती है। कानून के माध्यम से सुरक्षा बलों को एएफएसपीए के तहत क्षेत्रों में किए गए कृत्यों के लिए नागरिक अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की। मानवाधिकार संगठनों ने बल देकर कहा कि कानून ने देश के संविधान का उल्लंघन किया और इसे निरस्त करने का आह्वान जारी रखा। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार का दावा करने के बाद अप्रैल में असम, मणिपुर और नागालैंड के जिलों में एएफएसपीए के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया था। एएफएसपीए के तहत एक अशांत क्षेत्र के रूप में नाम दिया जाना नागालैंड के अन्य भागों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम के कुछ भागों में प्रभावी रहा, और कानून का एक संस्करण, जम्मू और कश्मीर में प्रभावी था।

मनमाने ढंग से गिरफ्तारी: कानून मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत को प्रतिबंधित करता है; तथापि; पुलिस ने कथित रूप से मनमाने ढंग से लोगों को, विशेषरूप से यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया । पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक अध्ययन के अनुसार, यूएपीए के तहत वर्ष 2015 और 2020 के बीच 8,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। ऐसी खबरें थीं कि पुलिस ने खुद की पहचान बताए बिना अथवा गिरफ्तारी वारंट दिए बिना हिरासत में पूछताछ के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। एनजीओ के आकलन के अनुसार, वर्ष 2014 और 2020 के बीच 7,000 से अधिक व्यक्तियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2021 में संसद में प्रस्तुत किए गए सरकारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2014 से 2019 तक सालाना दो से अधिक व्यक्तियों को राजद्रोह का दोषी नहीं ठहराया गया था। मई, 2022 में राजद्रोह कानून को निलंबित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने आपराधिक राजद्रोह के मामलों पर रोक लगा दी; यह स्थगन वर्ष के दौरान जारी रहा।

दिनांक 02 फरवरी को केरल के पत्रकार, सिद्दीक कप्पन को दो वर्ष से अधिक समय तक जेल में बंद रहने के बाद रिहा कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय सहित अनेक न्यायालयों ने कप्पन को अनेक आपराधिक आरोपों में जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2020 में एक दलित महिला के कथित सामूहिक बलात्कार की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे कप्पन और छात्र कार्यकर्ता अतिकुर रहमान को हिरासत में लिया था। कप्पन और रहमान, दोनों मुस्लिम, को गिरफ्तार किया गया और उन पर विभिन्न समूहों के बीच कथित रूप से धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए यूएपीए के तहत राजद्रोह और यूएपीए के उपबंधों के तहत आरोप लगाए गए। मीडिया की खबरों से यह जानकारी मिली कि रहमान को जून में हिरासत से रिहा किया गया था। नागरिक समाज संगठनों ने इन गिरफ्तारियों को

मनमाना कहते हुए इनकी आलोचना की और उल्लेख किया कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे उनकी पहचान और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने को उत्तरदायी ठहराया।

दिनांक 31 अक्तूबर को, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह 22 नवम्बर को छात्र और मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे उस समय जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2020 में यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी जमानत की सुनवाई में बार-बार विलम्ब हो रहा था। यह देखते हुए कि उसे वर्ष 2020 से बिना मुकदमे के मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने खालिद की रिहाई की मांग की ।

मुकदमा चलाए जाने से पूर्व हिरासत : मुकदमा चलाए जाने से पूर्व हिरासत मनमानी और लंबी थी, कभी-कभी दोषी ठहराए गए लोगों को दी गई सजा की अवधि से अधिक होती थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनआरसीबी) के आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2021 के अंत में 427,165 कैदी मुकदमे चलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो देश की जेल में रहने वाली आबादी का कुल 77 प्रतिशत था। मीडिया ने जानकारी दी कि मुकदमा चलाए जाने से पूर्व हिरासत की अधिक संख्या के कारण कारागारों में भीड़भाड़ थी। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि मुकदमे का इंतजार कर रहे 70 फीसदी व्यक्तियों ने जमानत प्राप्त करने से पूर्व तीन माह से अधिक का समय कारागार में बिताया। मुकदमा चलाए जाने से पूर्व हिरासत ने गरीब और हाशिए पर रहने वाले समूहों को असमान रूप से प्रभावित किया जो अक्सर जमानत प्राप्त करने में कम सक्षम थे। अप्रैल माह में, केंद्र सरकार ने उल्लेख किया कि वह कानूनी सलाह, दंड या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

ङ निष्पक्ष सार्वजनिक विचारण से वंचन

कानून एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है और सरकार आमतौर पर न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन न्यायिक प्रणाली में निचले स्तर पर विचारण में विलम्ब, क्षमता संबंधी चुनौतियों व्याप्त था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे। केंद्र और राज्य सरकारें सामान्यत: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निणयों का पालन करती हैं, उस स्थिति में भी, जब न्यायालय ने सरकार की स्थिति के विरूद्ध निर्णय दिया।

देश की न्यायिक स्वतंत्रता के आकलन के अनुसार, तथापि, कार्यपालिका ने, कुछ मामलों में, न्यायिक नियुक्तियों को अस्वीकार करने या विलम्ब करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास किया, जो न्यायालय को प्रतिकूल लगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने उल्लेख किया कि सरकार ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को प्रोत्साहन के तौर पर उपयोग करने की कोशिश की। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और चुनावी बॉन्ड की वैधता (वर्ष 2017 में स्थापित अज्ञातरूप से राजनीतिक चंदा देने की एक प्रणाली) जैसे कुछ मामलों पर अनेक वर्षों से उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी।

विचारण प्रक्रियाएं

आधिकारिक गोपनीयता अथवा राज्य सुरक्षा के मामलों के अलावा, कानून एक निष्पक्ष और सार्वजनिक विचारण का अधिकार प्रदान करता है और न्यायपालिका ने सामान्यत: इस अधिकार का प्रवर्तन किया।

न्यायालयों की क्षमता ने समय से सुनवाई के अधिकार को बाधित किया। न्यायिक प्रणाली में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त थे और उनमें काम का अत्यधिक बोझ था, तथा आधुनिक प्रकरण प्रबंधन प्रणालियों का अभाव था, जिसकी वजह से अक्सर विलम्ब होता था अथवा न्याय का वंचन होता था। दिनांक 25 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में कुल 33.4 मिलियन से अधिक आपराधिक मामले न्यायिक प्रणाली में सूचीबद्ध थे। इनमें से 8.5 मिलियन मामले पांच वर्ष से अधिक समय से तथा 3.1 मिलियन मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। सुलाए नहीं जा सकने वाले आपराधिक मामलों की परिशुद्ध संख्या में वृद्धि जारी रही, लगभग 1.2 मिलियन मामलों की निपटान दर के समक्ष प्रत्येक माह लगभग 1.4 मिलियन नए मामले दायर किए गए।

यूएपीए के तहत मामला दर्ज किए गए लोगों के अलावा प्रतिवादियों ने अपने आप को बेगुनाह बताया। प्रतिवादी अपने अधिवक्ता का चुनाव सकते हैं। संविधान ने विनिर्दिष्ट किया है कि सरकार को ऐसे प्रतिवादियों को निशुल्क विधिक परामर्श प्रदान करना चाहिए जो इसे वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन कभी-कभार क्षमता संबंधी बाधाओं के चलते सक्षम अधिवक्ता तक सीमित पहुंच होती थी। प्रतिवादियों को आरोपियों का सामना करने और अपने स्वयं के साक्षी और सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार था, लेकिन उचित अधिवक्ता द्वारा व्यक्ति का न्यायालय में पक्ष नहीं रखे जाने के कारण प्रतिवादियों ने कभी-कभार इस अधिकार का प्रयोग नहीं

किया। मार्च, 2020 और मार्च, 2022 के बीच, आईजेआर ने अधिवक्ता द्वारा व्यक्ति का न्यायालय पक्ष रखने वाले राष्ट्रीय स्तर पर संस्वीकृत 'लीगल एड क्लीनिकों' की संख्या में 66 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई।

राजनीतिक कैदी और बंदी

राजनीतिक कैदी और बंदियों के संबंध में कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं थी। नागरिक समाज के संगठनों, हाशिए पर रहने वाले समूहों के सदस्यों और अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों से राजनीतिक कैदियों के संबंध में अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि आतंकवाद से संबंधित, मानहानि या राजद्रोह के अपराधों के आरोप में पकड़े गए अथवा आरोपित लोग राजनीतिक कैदी थे, जिन्हें अक्सर उनके भाषण, पक्ष समर्थन अथवा सरकार की अहिंसक आलोचना के लिए पकड़ा जाता था। नागरिक समाज के संगठनों ने नोट किया कि प्राधिकारियों ने ऐसे कैदियों को अनियमित रूप से विधिक अधिवक्ताओं तक पहुंच प्रदान की और कथित रूप से अधिवक्ताओं के साथ कैदियों की मुलाकातों की निगरानी की।

अगस्त में, कश्मीरी अलगाववाद की वकालत करने वाले जम्मू और कश्मीर संगठन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इसके अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने औपचारिक आरोपों के बिना, घर में नजरबंद हुए चार वर्ष हो चुके हैं। सरकार ने फारूक की गिरफ्तारी से इनकार किया है।

च. अंतरराष्ट्रीय दमन

ऐसी खबरें थीं कि सरकार, पत्रकारों, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल की प्रवासियों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय दमन में लगी हुई है।

विदेशों में हत्या, अपहरण, जबरन वापसी अथवा अन्य हिंसा

हिंसा की धमकी : विदेशों की सरकारों, प्रवासी समुदायों और मानवाधिकार समूहों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रतिशोध लेने के लिए व्यक्तियों की हत्या करवाई, अथवा अन्य देशों में व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा अथवा हिंसा की धमकी का उपयोग किया। दिनांक

18 सितंबर को, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि उनकी सरकार भारत सरकार के एजेंटों और एक सिख कनाडाई नागरिक, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध के आरोपों की जांच कर रही है, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है, और जिसने खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य के निर्माण की वकालत की थी। भारत सरकार ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

धमकी, उत्पीड़न, निगरानी और दबाव : नागरिक समाज संगठन, प्रवासी जनसंख्या और देश के बाहर काम करने वाले और मानवाधिकारों की वकालत करने वाले पत्रकारों ने ऑनलाइन तरीके के साथ-साथ धमकियों, उत्पीड़न, मनमानी ढ़ंग से निगरानी और दबाव का अनुभव करने की जानकारी दी, जिसमें है, जिसके लिए उन्होंने सरकार या सरकार से कथित रूप से जुड़े व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि भारत में उनके कुछ परिवारों, दोस्तों या सहयोगियों ने भी अपनी मानवाधिकार गतिविधियों के कारण स्थानीय अधिकारियों से उत्पीड़न और दबाव का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों ने उनके वकालत के प्रयासों पर "द्रुतशीतन प्रभाव" पैदा किया और भारत में अपने और अपने परिवारों के विरूद्ध प्रतिशोध के डर के कारण आत्म-सेंसरशिप का नेतृत्व किया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत में उनके कुछ परिवारों, मित्र अथवा सहयोगियों ने भी अपनी मानवाधिकार से जुड़ी गतिविधियों के कारण स्थानीय प्राधिकारियों से उत्पीड़न और दबाव का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों ने उनके पक्ष समर्थन के प्रयासों को "धीमा" कर दिया और भारत में अपने और अपने परिवारों के विरूद्ध प्रतिशोध के डर के कारण इन्हें स्वयं नियंत्रण कर बंद कर दिया ।

नागरिक समाज के नेताओं ने भारत में सोशल मीडिया खातों को अवरुद्ध करने और हैशटैग हटाने के अनुरोध और देश में साजिश के अनुमानों के प्रसार का उल्लेख किया, जो मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए काम कर रहे प्रवासी कार्यकर्ताओं के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय दमन के उदाहरण थे। उदाहरण के लिए, 14 अक्तूबर को, 'हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स' और 'इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ऑन एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के खातों पर देश में रोक लगा दी गई क्योंकि यह नोट किया गया था कि 'एक्स' को सरकार से इन्हें हटाने के लिए एक कानूनी मांग प्राप्त हुई थी। सरकार ने दावा किया कि दोनों खातों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन किया है। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'आईटी सेल' के प्रमुख अमित मालवीय ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि 'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' की कार्यकारी निदेशक सुनीता विश्वनाथ, समाज सेवी जॉर्ज सोरोस की ओर से कथित तौर पर "भारत को बर्बाद" करने के लिए काम कर रही

थी और 'इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल', न्यू जर्सी के अध्यक्ष तज़ीम अंसारी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े थे। अक्तूबर में दोनों संगठनों के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने के बाद मालवीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन दावों को नए सिरे से जारी किया।

छ. संपत्ति की जब्ती और वापसी

ऐसी अनेक रिपोर्टें थी कि सरकार ने नगरपालिका के नियमों और विनियमों में अवैधता का हवाला देते हुए उचित प्रक्रिया या पर्याप्त मुआवजा दिए बिना व्यक्तियों को उनके निवास स्थान से बेदखल कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, या घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। एक नागरिक समाज संगठन ने अनुमान लगाया कि सरकार ने मार्च, 2020 और जुलाई 2021 के बीच कम से कम 43,000 घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही उस अवधि के दौरान हर घंटे लगभग 21 व्यक्तियों को बेदखल किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि कुछ राज्य सरकारों ने खासकर विरोध या सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद मुस्लिम समुदाय के मुखर आलोचकों को नगरपालिका के बहाने बुलडोजर का उपयोग करके उनके घरों और आजीविका को नष्ट करके निशाना बनाया गया।

दिनांक 31 जुलाई और 01 अगस्त को हरियाणा में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़पों के बाद, यह दावा करते हुए कि घरों का इस्तेमाल सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों द्वारा किया गया था और इन्हें सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था, स्थानीय अधिकारियों ने मुस्लिम बहुल जिले में घरों को ध्वस्त कर दिया। दिनांक 07 अगस्त को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य सरकार को विध्वंस को रोकने का निदेश दिया। न्यायालय ने यह प्रश्न किया किया कि क्या विध्वंस मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के विरूद्ध "जातीय सफाई की कवायद" थी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हों और मुस्लिम व्यवसायों के विरूद्ध आर्थिक बहिष्कार को "अस्वीकार्य" बताया। राज्य सरकार ने दावा किया कि विध्वंस कानून के अनुरूप किए गए थे। मानवाधिकार संगठनों ने व्यापक रूप से विध्वंस की आलोचना की, यह नोट करते हुए कि बुलडोजर अल्पसंख्यक समूह के समुदायों के लिए घरों, व्यवसाय और पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक "प्रमुख न्यायेतर साधन" बन गया।

यूएपीए और जम्मू और कश्मीर विशिष्ट सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, दोनों ने सरकार को

सीमित विधिसम्मत प्रक्रिया अथवा सुरक्षोपाय के साथ संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी।

ज. निजता, परिवार, गृह अथवा पत्राचार के साथ मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप

जबकि, संविधान में गोपनीयता का अधिकार स्पष्ट रूप से विहित नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्णय दिया कि गोपनीयता एक "मौलिक अधिकार" है। लेकिन ऐसी खबरें थी कि सरकार कभी-कभार इस अधिकार का सम्मान करने में विफल रही। कानून के अनुसार उन मामलों को अलावा, जिनमें इस तरह की कार्रवाइयों से अनुचित देरी होगी, पुलिस को तलाशी और जब्ती करने के लिए वारंट प्राप्त करना अपेक्षित था। पुलिस को निकटतम मजिस्ट्रेट, जिसका क्षेत्राधिकार था, उसके समक्ष लिखित रूप में वारंट रहित तलाशियों का औचित्य सिद्ध करना पड़ा।

ऐसी खबरें थी कि सरकारी प्राधिकारियों ने व्यक्तियों की निजता की निगरानी अथवा हस्तक्षेप करने के लिए मनमाने ढंग से अथवा गैरकानूनी रूप से निजी संचार तक पहुंच बनाई, संग्रहण किया अथवा उपयोग किया। कानून, सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा बनाए रखने तथा अन्य देशों साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने; कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अपराध को किए जाने के लिए उकसाने से रोकने के लिए कॉल के अवरोधन करने की अनुमति देते हैं; सरकार ने कानून या औपचारिक रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में निगरानी करने से इनकार किया। सरकार ने कानून अथवा औपचारिक रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के उल्लंघन करते हुए निगरानी करने से इनकार किया।

मार्च माह में, प्रेस ने जानकारी दी कि सरकार कथित तौर पर एनएसओ समूह के साथ अपने कथित अनुबंध को बदलने के लिए नए स्पाइवेयर अनुबंधों पर 120 मिलियन अमरीकी डालर तक का अधिग्रहण और व्यय करना चाहती है। सरकार ने एनएसओ समूह का ग्राहक होने की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार ने विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों और रूचि के अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध 'स्पाइवेयर टूल' का उपयोग किया है। अक्तूबर में, मीडिया ने जानकारी दी कि विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने कहा कि उन्हें ऐप्पल से चेतावनी संदेश मिले हैं कि उन्हें देश द्वारा प्रायोजित हमलावरों द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय ने आरोपों पर चिंता व्यक्त की और उल्लेख किया कि सरकार ने एप्पल से इस मामले की जांच में शामिल होने का अनुरोध किया।

अगस्त माह में, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया, यह

देखते हुए कि यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। नागरिक समाज और मीडिया संगठनों ने सरकार को उन सुरक्षोपायों से छूट देने के लिए इसकी आलोचना की, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त निजता के अधिकार की रक्षा करते हैं।

यूएपीए ने कथित आतंकवाद के मामलों में 'अंतर्रोधित संचार' से प्राप्त साक्ष्यों के उपयोग की भी अनुमति दी। जम्मू और कश्मीर, पंजाब और मणिपुर में सुरक्षा अधिकारियों के पास बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने के लिए विशेष प्राधिकार थे।

झ. संघर्ष से संबंधित दुर्व्यवहार

देश के सशस्त्र बल, अलग-अलग राज्यों के सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल अनेक पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी समूहों के साथ और देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी भागों में माओवादी आतंकवादियों के साथ संघर्षरत हैं। इन संघर्षों की तीव्रता में लगातार गिरावट जारी रही। सेना और सुरक्षा बल पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में तैनात रहे। सशस्त्र बल और पुलिस, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी समूहों के साथ भी संघर्षरत हैं।

ऐसी खबरें थी कि सरकारी सुरक्षा बलों ने इन क्षेत्रों में न्यायेतर हत्याएं की। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, पुलिस ने कभी-कभार शवों को सौंपने से इनकार कर दिया। प्राधिकारियों ने सशस्त्र बलों को एनएचआरसी को हिरासत में हुई मौतों की जानकारी देना अनिवार्य नहीं किया था। इन स्थितियों से उत्पन्न मानवाधिकारों के हनन की कुछ जांच और अभियोजन चल रहे थे।

हत्याएं: ऐसी कुछ जानकारियां थी कि सरकारी सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध अभियानों के दौरान नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जो सरकार के अनुसार जानबूझकर नहीं की गई थी, जिनमें असंबद्ध व्यक्ति भी शामिल थे। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने कथित तौर पर नौ नागरिकों की हत्याएं की।

दिनांक 14 अप्रैल को, रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने नागालैंड पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में नागालैंड के एक गांव ओटिंग में उग्रवादियों के विरूद्ध एक "असफल" कार्यवाही में 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 सेना कमांडो पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुरुषों को उस स्थिति में मार गिराया गया था जब सरकार ने मई माह के दौरान मणिपुर राज्य में आरंभ हुई हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना सहित सुरक्षा बलों

को तैनात किया। दिनांक 03 मई से 15 नवंबर के बीच, कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच हिंसा के परिणामस्वरूप कम से कम 175 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। हिंसा के दौरान सैकड़ों घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को कथित तौर पर जला दिया गया या नष्ट कर दिया गया। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मणिपुर राज्य सरकार को मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल का निदेश जारी होने के बाद तनाव बढ़ गया, जिससे आधिकारिक तौर पर नामित आदिवासी समुदाय के रूप में कुकी समुदाय को प्राप्त होने वाली भूमि और अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में खतरा हो सकता था। अप्रैल माह में, मणिपुर उच्च न्यायालय के निदेश के विरूद्ध दिनांक 03 मई को कुकी समुदाय की विरोध रैली के बाद हिंसा उभरी। तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने इस निदेश की आलोचना की। दिनांक 02 जुलाई को मेइतेई समुदाय की भीड़ ने चुराचांदपुर जिले के एक कुकी ग्रामीण, डेविड थिक का कथित तौर पर सिर कलम कर दिया था। सरकार ने कथित तौर पर हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना और 62 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया। जांच हेतु मामले दर्ज किए गए थे लेकिन 01 दिसंबर तक कोई अभियोजन आरंभ नहीं किए गए थे। स्थानीय मानवाधिकार संगठनों, अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों और प्रभावित समुदायों ने हिंसा को रोकने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए विलम्ब से कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की। उच्चतम न्यायालय ने हिंसा को रोकने में केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार की विफलता की आलोचना की और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी और मानवीय सहायता के वितरण और घरों और पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक पैनल, दोनों को नियुक्त किया। दिनांक 04 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने सरकार से राहत प्रयासों को बढ़ाने और हिंसा के कृत्यों की जांच करने, अपराधियों को दंड देने और मेइतेई, कुकी और अन्य प्रभावित समुदायों के बीच सुलह की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए समय पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।

वर्ष 2002 में गुजरात राज्य में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मुसलमानों की हत्याओं के मामलों में अनेक लोग बरी हुए थे। दिनांक 13 जून को, मुंबई की एक न्यायालय ने मफत गोहिल और हर्षद सोलंकी को बेस्ट बेकरी दंगा मामले में उनकी भूमिका के लिए बरी कर दिया, जिसमें वर्ष 2002 के दंगों में वडोदरा में 11 मुस्लिम और तीन हिंदू मारे गए थे। दिनांक 20 अप्रैल को, गुजरात की एक न्यायालय ने नरोदा गाम नरसंहार में सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया, जहां गुजरात 2002 के दंगों के दौरान 11 मुस्लिम मारे गए थे। नरोदा गाम मामला उसी समय हुआ जब नरोदा पाटिया में 97 मुसलमानों की हत्या हुई थी, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने

29 में से 12 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। 25 जनवरी को, गुजरात की एक स्थानीय न्यायालय ने गुजरात के वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान देलोल गांव में 17 मुसलमानों की हत्या करने और उनके शरीरों को जलाकर सबूत नष्ट करने के आरोपी 14 व्यक्तियों को बरी कर दिया।

अपहरण: मानवाधिकार समूहों का कहना था कि विद्रोही समूहों ने छत्तीसगढ़, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर में लोगों का अपहरण किया।

दिनांक 11 मई को, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में जातीय हिंसा के दौरान संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने कथित तौर पर तीन मैतेई लोगों का अपहरण कर लिया था जब उग्रवादी चावल लेने के लिए तोरबंग बांग्ला गांव पहुंचे थे।

शारीरिक दुरव्यवहार, दंड और यातनाएं: मणिपुर में हिंसा के संदर्भ में, मीडिया ने जानकारी दी कि हिंसा के दौरान अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उनपर हमला किया गया था, जिनमें दो कुकी महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें कांगपोकपी जिले में 04 मई को मैतेई भीड़ द्वारा नग्न घुमाया गया था और कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को 'शर्मनाक' बताया और मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। नवंबर तक, इस घटना में शामिल होने के कारण सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

अन्य संघर्ष से संबंधित दुर्व्यवहार: दिनांक 05 अक्तूबर को मणिपुर में मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू लोइतोंगबाम के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने लोइतोंगबाम के विरूद्ध धमकियों पर चिंता व्यक्त की और प्राधिकारियों से उनकी और उनके परिवार की रक्षा करने का आग्रह किया।

भाग 2. नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान

क. प्रेस और अन्य मीडिया के सदस्यों सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

व्यक्तियों ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों, टेलीविजन, रेडियो अथ्वा प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक और निजी तौर पर सरकार की नियमित रूप से आलोचना करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया, लेकिन ऐसे अनेकानेक उदाहरण थे जिनमें सरकार अथवा कर्ताओं,

जिन्हें सरकार के करीबी माना जाता था, कथित तौर पर सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर दबाव डाला गया अथवा उन्हें परेशान किया, जिसमें ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शामिल थी। सरकार की आलोचना करने वाले विचारों को व्यक्त करने वाले मीडिया संगठनों और पत्रकारों को कभी- कभार गिरफ्तारी, डर अथवा धमकी का सामना करना पड़ता था। पुलिस ने पत्रकारों के कार्यस्थलों और घरों पर छापा मारा और टेलीफोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए। आतंकवादियों और चरमपंथियों द्वारा सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के विरूद्ध हत्याओं, हिंसा और धमकी देने की भी खबरें थी।

'ह्यूमन राइट्स वॉच की *वर्ल्ड रिपोर्ट 2023'* के अनुसार, "प्राधिकारियों ने सरकारी दुर्व्यवहारों को उजागर करने या उनकी आलोचना करने वालों को जेल में डालने के लिए आतंकवाद सहित राजनीतिक रूप से प्रेरित आपराधिक आरोपों का उपयोग करके नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों को चुप कराने के प्रयास तेज कर दिए। सरकार ने अधिकार समूहों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य को परेशान करने के लिए विदेशी वित्तपोषण नियमों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का इस्तेमाल किया। प्राधिकारियों ने सरकार की आलोचना करने वाले कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को विदेश यात्रा करने से रोकना जारी रखा।'' रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने अपने वर्ष 2023 *विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक* में पाया कि "पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा, राजनीतिक पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया स्वामित्व का संकेन्द्रण सभी यह दर्शाते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्रता संकट में है।''

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: स्वतंत्र मीडिया सक्रिय था और सामान्यत: सरकार की आलोचना सहित अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करता था, तथापि, कुछ मीडिया संगठनों को बढ़ते प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। कानून ने ऐसी विषयवस्तु को प्रतिबंधित कर दिया जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं अथवा समूहों के बीच शत्रुता को भड़का सकती है, और प्राधिकारियों ने प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया; स्ट्रीमिंग सेवाओं और पुस्तकों के प्रकाशन अथवा वितरण सहित डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म को प्रतिबंधित करने के लिए इन उपबंधों को लागू किया। राष्ट्रीय ध्वज को विकृत करने अथवा विरूपण करने पर तीन वर्ष तक की कारावास का दंड दिया जा सकता था।

दिनांक 14 फ़रवरी को आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों की 60 घंटे की तलाशी ली। यह जांच, बीबीसी द्वारा जनवरी माह में एक वृत्तचित्र रीलीज होने के तुरंत बाद हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में वर्ष 2002 के

दंगों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई थी, जिसमें 2,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। तथापि, कर अधिकारियों ने तलाशी को बीबीसी के कर भुगतान और स्वामित्व संरचना में अनियमितताओं के कारण उठाया गया कदम बताया, प्राधिकारियों ने उन पत्रकारों से उपकरण की भी तलाशी ली और उन्हें जब्त किया, जो संगठन की वित्तीय प्रक्रियाओं में शामिल नहीं थे। सरकार ने वृत्तचित्र को दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया, मीडिया कंपनियों को वीडियो के लिंक हटाने के लिए बाध्य किया, और छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जिन्होंने वृत्तचित्र को दिखाने के लिए पार्टियों का आयोजन किया था ।

देश में समाचार संगठनों ने आरोप लगाया कि मीडिया संगठनों को नियंत्रित करने वाले वित्तीय नियम जटिल और तेजी से बदलते हैं, जिससे पूर्ण अनुपालन करना मुश्किल हो जाता है। इससे, जब उनके विचार से, समाचार संगठन सरकार के आलोचना करते थे तो इन नियमों को चुनिंदा रूप से लागू कर दिया जाता था। जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जांच किए जाने के संबंध में अनेक रिपोर्टें सामने आईं, जिसमें वर्ष 2019 के बाद से कम से कम 35 पत्रकारों ने हमले, पुलिस पूछताछ, छापे, फर्जी मामलों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का सामना करने की जानकारी दी थी।

दिनांक 20 मार्च को, 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज की वर्ष 2021 में गिरफ्तारी जम्मू और कश्मीर में यूएपीए के तहत मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों के लगातार होते दमन के एक पैटर्न को दर्शाती थी। एनजीओ 'आरएफके ह्यूमन राइट्स' ने कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक, खुर्रम परवेज की रिहाई की मांग जारी रखी, जिसे वर्ष 2021 में भी गिरफ्तार किया गया था, जो दिनांक 04 दिसंबर तक हिरासत में रहा। प्रेस ने उल्लेख किया कि पत्रकार फहद शाह (जिसे वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया गया था) को दिनांक 23 नवंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि विशेष जांच एजेंसी के पास आतंकवाद के लिए शाह पर आतंकवाद का मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।

हिंसा और उत्पीड़न: पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टें थी कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों ने शारीरिक उत्पीड़न और हमलों के माध्यम से मीडिया संगठनों को डराया, मालिकों पर दबाव डाला, प्रायोजकों को निशाना बनाया, तुच्छ मुकदमों को प्रोत्साहित किया, कुछ क्षेत्रों में संचार सेवाओं को अवरुद्ध किया, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट, और आवाजाही की स्वतंत्रता को बाधित करना। गैर सरकारी संगठनों

ने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को डराने के लिए आपराधिक मुकदमों और जांच का इस्तेमाल किया गया। ऑनलाइन और मोबाइल पर उत्पीड़न काफी सामान्य था, और विशेषरूप से महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हुए 'इंटरनेट ट्रोलिंग' की खबरें बढ़ती रहीं थी । कुछ मामलों में, पुलिस ने पत्रकारों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बहाने के रूप में अज्ञात सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग किया।

'आरएसएफ 2023 *वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'* ने देश को "मीडिया के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देशों में से एक" के रूप में वर्णित किया, जहां पुलिस, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, आपराधिक समूहों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने काम के सिलसिले में हर वर्ष औसतन तीन से चार पत्रकार मारे जाते हैं। आरएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा, तेजी से राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण होता मीडिया परिदृश्य, और सरकार से जुड़े व्यावसायिक हितों के हाथों में मीडिया स्वामित्व के आने से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का "संकट" पैदा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में संवाददाताओं को अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया गया और कुछ को अनेक वर्षों तक "अस्थायी" हिरासत में रखा गया।

दिनांक 03 मई को पुलिस ने 'फ्रीलांस पत्रकार', साक्षी जोशी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था क्योंकि वह दिल्ली में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थी। महिला अधिकारियों ने जोशी को धक्का दिया और पुलिस बस में धकेलने से पहले उनके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने जोशी को लगभग एक घंटे तक रोके रखा, फिर उन्हें बिना आरोप के रिहा कर दिया। मीडिया संगठनों ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

दिनांक 22 मई को मणिपुर राज्य के सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर तीन पत्रकारों- मामी टीवी के सोराम इनोबा और नोंगथोम्बम जॉनसन और समाचार एजेंसी एएनआई के ब्रह्मचारीमयुम दयानंद पर दंगों और आगजनी के फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर हमला किया था। सुरक्षा बलों ने पत्रकारों को एक इमारत से खींच लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें डंडों से पीटा। मणिपुर के अधिकारियों ने दावा किया कि पत्रकारों ने सरकार द्वारा संचालित ड्रोन पर पत्थर फेंके, जिससे पत्रकारों ने इनकार किया।

प्रेस के सदस्यों तथा ऑनलाइन मीडिया सहित अन्य मीडिया के लिए सेंसरशिप अथवा

विषयवस्तु संबंधी प्रतिबंध: कभी-कभार प्रेस और अन्य मीडिया ने संपादकीय स्वतंत्रता का आनंद लिया, परंतु सरकार ने व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के उपबंधों के आधार पर विषयवस्तु को प्रतिबंधित कर दिया। नागरिक समाज के संगठनों ने चिंता व्यक्त की कि सरकार उन्मुखी व्यावसायिक हित रखने वाले व्यापार घरानों द्वारा मीडिया संगठनों में हिस्सेदारी खरीदने से मीडिया की स्वतंत्रता के साथ समझौता हो सकता है। प्रेस और अन्य मीडिया ने कथित तौर पर सरकारी प्रतिशोध के डर से स्व-नियंत्रण किया।

दिनांक 17 जनवरी को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में एक संशोधन लाया गया, जिसके माध्यम से सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो को समाचार रिपोर्टों की सत्यता निर्धारित करने और "फर्जी" या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश देने का प्राधिकार दिया। यह संशोधन अप्रैल से लागू हुआ।

सरकार ने एएम रेडियो स्टेशनों पर एकाधिकार बनाए रखा, राज्य के स्वामित्व वाले ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण को सीमित कर दिया और एफएम रेडियो लाइसेंस को मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री तक सीमित कर दिया। राज्य सरकारों ने उन चुनिंदा पुस्तकों के आयात अथवा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें ऐसी विषयवस्तु शामिल थी जिसे सरकारी अधिकारियों ने भड़काऊ अथवा सांप्रदायिक अथवा धार्मिक तनाव भड़काने की क्षमता वाली विषयवस्तु समझा था।

दिनांक 29 जुलाई को राजनीतिक विश्लेषक, बद्री शेषाद्रि को तमिलनाडु पुलिस ने मणिपुर में हिंसा रोकने से संबंधित न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाई. चंद्रचूड़ की आलोचना करने वाले एक यूट्यूब वीडियो में टिप्पणी करने के लिए चेन्नई में गिरफ्तार किया था।

अपमान/लांछन लगाने संबंधी कानून: अपमान करना अथवा लांछन लगाना आपराधिक स्वरूप के अपराध थे। सरकार ने सार्वजनिक चर्चा को प्रतिबंधित करने तथा पत्रकारों, हाशिए पर रहने वाले समूहों के सदस्यों और राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल किया।

जुलाई माह में, मीडिया ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र पुलिस ने आपत्तिजनक धार्मिक विषयवस्तु के संबंध में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध पिछले दो वर्षों में अपमान करने अथवा लांछन लगाने के 600 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

जून माह में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) द्वारा वर्ष 2022 में सरकार के विरूद्ध कतिपय सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के आदेश के संबंध में दायर एक मामले को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आदेश द्वारा सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए जुर्माना भी लगाया।

राष्ट्रीय सुरक्षा: प्राधिकारियों ने सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार करने या दंडित करने के लिए आतंकवाद रोधी कानूनों अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। 08 जुलाई को, मणिपुर पुलिस ने 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन' की तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषण दल के विरूद्ध राजद्रोह के आरोप दर्ज किए, जिन्होंने इम्फाल की यात्रा के बाद मणिपुर में हिंसा को "राज्य द्वारा प्रायोजित" बताया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

मीडिया निगरानी समूहों ने पत्रकारों के विरूद्ध यूएपीए के 'अत्यधिक' उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। दिनांक 20 मार्च को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीरी पत्रकार, इरफान मेहराज को आतंकवाद-वित्तपोषण के आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्षेत्र में मेहराज की पहचान 'अलगाववादी के एजेंडा' का प्रसार करने के लिए 'जम्मू और कश्मीर कोअलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी' के साथ मिलकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता के रूप में की ।

इंटरनेट की स्वतंत्रता

सरकार ने इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित और बाधित किया और ऑनलाइन विषयवस्तु को नियंत्रित किया; ऐसी भी जानकारियां थी कि सरकार अक्सर डिजिटल मीडिया जैसे 'चैट रूम' और व्यक्ति- से- व्यक्ति संचार के उपयोगकर्ताओं की निगरानी करती है। कानून ने सरकार को इंटरनेट साइटों और विषयवस्तु को ब्लॉक करने की अनुमति दी और सरकार को भड़काऊ या आक्रामक समझे जाने वाले ऐसे संदेश भेजने का अपराध घोषित किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के पास कंप्यूटर की जानकारी को अवरुद्ध करने, अवरोधन करने, निगरानी करने या विकोडबद्ध करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति थी। न्यायालय के निर्णयों और कानूनों ने इंटरनेट पहुंच के निलंबन के लिए अपेक्षित शर्तों और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया। नागरिक समाज संगठनों ने इस बात पर बल दिया कि प्राधिकरण लगातार इन अपेक्षित को पूरा नहीं करते हैं।

सरकार ने विशेषरूप से राजनीतिक अशांति की अवधि के दौरान बार-बार इंटरनेट शटडॉउन लगाया और कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सहित दूरसंचार को अवरुद्ध कर दिया।

जून माह के दौरान इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने *"इंटरनेट नहीं होने का अर्थ है कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई भोजन नहीं" - इंटरनेट शटडॉउन ने जून माह में "डिजिटल इंडिया"* में बुनियादी अधिकारों तक पहुंच से वंचित किया नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में नोट किया गया कि उच्चतम न्यायालय के उन निदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है जिनमें उल्लेख किया गया है कि इंटरनेट का उपयोग केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही निलंबित किया जाना चाहिए और इंटरनेट बंद करने के आदेश प्रकाशित किए जाने चाहिए। रिपोर्ट में दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2022 तक इंटरनेट शटडॉउन के 127 उदाहरण सूचीबद्ध हैं। इस अवधि के दौरान, 18 राज्यों ने कम से कम एक बार इंटरनेट बंद कर दिया, और 11 राज्यों ने 'शटडॉउन' आदेश प्रकाशित नहीं किए।

कतिपय मामलों में, सरकारी प्राधिकारियों ने मीडिया की विषयवस्तु पर लगाए गए प्रतिबंधों को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए राष्ट्रीय हित की रक्षा करने वाले कानूनों का हवाला दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 से "भारत विरोधी" विषयवस्तु तैयार करने के लिये 150 से अधिक वेबसाइटों और यूटयूब आधारित समाचार चैनलों को हटा दिया गया था। दिनांक 28 मार्च को, पंजाब के अधिकारियों ने बीबीसी की पंजाबी सेवा सहित पंजाब के अनेक पत्रकारों और मीडिया संगठनों के सोशल मीडिया खातों को निलंबित कर दिया। यह निलंबन इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया गतिविधि पर व्यापक ब्लैकआउट के भाग के रूप में आया क्योंकि अधिकारियों ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थक सिख-राजनीतिक समूह 'वारिस पंजाब दे' के नेता अमृतपाल सिंह की तलाशी आरंभ की थी। पुलिस ने अनेक दिनों बाद निलंबित खातों को दोबारा चालू किया। मीडिया निकायों ने इन सोशल मीडिया हैंडलों के इस "मनमाने" निलंबन पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और निलंबन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध किया गया। मीडिया निकायों ने इन सोशल मीडिया हैंडलों के इस "मनमाने" निलंबन पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और निलंबन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध किया गया।

मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, मणिपुर में इंटरनेट शटडॉउन 15 नवंबर तक

जारी रहा। जातीय संघर्ष बढ़ने के बाद दिनांक 03 मई को राज्य में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और अनेक सरकारी आदेशों के माध्यम से इंटरनेट को बंद रखने की अवधि को बढ़ा दिया गया था। बाद के महीनों में प्रतिबंध को, मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के लिए, आंशिक रूप से हटा लिया गया था। लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया वेबसाइटें और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं, दिनांक 15 नवंबर तक अधिकांश व्यक्तियों के लिए निलंबित रही। मानवाधिकार संगठनों ने राज्यव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध की आलोचना की. उदाहरण के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ब्लैकआउट ने विश्व को मणिपुर में हो रहे "गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की वास्तविक स्थिति का अनुभव" करने से रोक दिया है। दिनांक 20 जुलाई को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 'एक्स' (जिसे पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था) को उस वीडियो को हटाने का निदेश दिया, जिसमें पुरुषों के एक समूह द्वारा मणिपुर की दो महिलाओं को नग्न परेड करते और उनका यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया था।

सरकार ने केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली विकसित की, जिसने सरकारी एजेंसियों को वास्तविक समय में इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करने हेतु सक्षम बनाया। निगरानी करने से पहले अधिकारियों के लिए न्यायिक आदेश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय अथवा मंत्रालय के समकक्ष राज्य-स्तरीय एक आदेश प्राप्त करना अपेक्षित था। आपातकालीन उपबधों के तहत दिए गए अवरोधन आदेशों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय की एक समिति को प्रत्येक दो माह में, जो अधिकतम 180 दिनों तक सीमित थी, बैठक करना अपेक्षित होता था।

ख. शांतिपूर्ण तरीके से जुटने और संघ बनाने की स्वतंत्रता

कानून, शांतिपूर्ण तरीके से जुटने और संघ बनाने की स्वतंत्रता का उपबंध करता है और सरकार ने नियमित रूप से इन शांतिपूर्ण तरीके से जुटने के अधिकार का सम्मान किया। सरकार ने कभी-कभार विशेषकर सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों,अल्पसंख्यक समूहों, मानवाधिकार के रक्षकों तथा सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई।

शांतिपूर्ण तरीके से जुटने की स्वतंत्रता

कानून, एक साथ जुटने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अक्सर, परेड या प्रदर्शनों से पहले प्राधिकारियों से परमिट और अधिसूचना प्राप्त करना अपेक्षित होता था और स्थानीय सरकारों ने सामान्यत: शांतिपूर्ण तरीके से जुटने तथा अपने विचार प्रकट करने के अधिकार का सम्मान किया। गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि सरकारी नीतियों या कानूनों के विरूद्ध प्रदर्शन करने वालों को कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों की ओर से प्रतिबंधों, प्रतिशोध या कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जम्मू और कश्मीर में, राज्य सरकार ने कभी-कभार सार्वजनिक सभाओं के लिए अलगाववादी राजनीतिक दलों को परमिट देने से इनकार कर दिया था और सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे राजनीतिक समूहों के सदस्यों को हिरासत में लिया और उन पर हमला किया। जम्मू और कश्मीर में नागरिक अशांति के दौर में अधिकारियों ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और कर्फ़्यू लगाने के लिए कानून का उपयोग किया।

मार्च माह के दौरान, 'वारिस पंजाब दे' के नेता अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की थी, क्योंकि उन पर पुलिस ने हत्या का प्रयास करने, कानून के प्रवर्तन में बाधा डालने और समाज में "असौहार्दपूर्ण स्थिति" पैदा करने का आरोप लगाया था। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने हजारों अर्धसैनिक पुलिस तैनात की और पूरे पंजाब राज्य में लगभग 30 मिलियन व्यक्तियों के लिए इंटरनेट और मोबाइल मैसेजिंग सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया। अधिकारियों ने कथित तौर पर सिंह की तलाश करते हुए 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। दिनांक 23 अप्रैल को, सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिनांक 01 दिसंबर से असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है।

नागरिक समाज से जुड़े संगठनों ने नोट किया कि इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजिंग प्रतिबंधों का उपयोग व्यापक रूप से पंजाब की आबादी के लिए हानिकारक था। संगठनों ने नोट किया कि सरकार ने आपराधिक संहिता की एक धारा का भी उपयोग किया, जो चार या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित करती है, और उल्लंघन करने वालों पर दंगा करने का आरोप लगाया जा सकता है।

जुलाई माह में, सरकार ने कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर में एक मार्च करने की अनुमति दी, जिससे शिया मुसलमानों को धार्मिक कार्यक्रम अर्थात् मुहर्रम मनाने की अनुमति मिल गई।

यह जुलूस 1989 में प्रतिबंधित किए जाने के बाद से श्रीनगर में सरकार द्वारा स्वीकृत पहला आयोजन था। सरकार ने नारे लगाने या किसी प्रतिबंधित संगठन के चिह्न् के प्रदर्शन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।

कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसियों ने उन्हें इकट्ठा होने और चर्चा करने के अधिकार से वंचित किया और कार्यक्रमों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए पत्र जारी किए।

संघ बनाने की स्वतंत्रता

कानून, संघ बनाने की स्वतंत्रता का उपबंध करता है। जबकि, सरकार ने विदेशी धन प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी और विनियमन को बढ़ाकर दिया और कौन से संगठन प्रचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सीमित कर दिया। नागरिक समाज के संगठनों ने प्रतिबंधात्मक प्रचालन का परिवेश तैयार करने के लिए सरकार की आलोचना की, जिसमें मानवाधिकार संगठनों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी धन प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई का हवाला दिया गया। प्रभावित संगठनों ने यह जानकारी दी कि सरकार ने विदेशी बैंकिंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं अथवा उन संगठनों के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर बिना पूर्व प्राधिकार, विदेशी धन प्राप्त किया था अथवा जिन्होंने अवैध रूप से विदेशी और घरेलू धन को मिलाया था, जिससे ऐसे संगठनों द्वारा मानवाधिकार की स्थितियों की निगरानी अथवा जांच करने का कार्य और भी कठिन हो गया।

मार्च माह में, उच्चतम न्यायालय ने यूएपीए के उस उपबंध की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें प्रतिबंधित संगठन में निष्क्रिय सदस्य को भी अपराधी बनाया गया है। इस निर्णय ने वर्ष 2011 के उच्चतम न्यायालय के तीन मामलों को उलट दिया, जिन्होंने प्रतिबंधित संगठनों में सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यता के बीच भेद किया था।

ग. धर्म की स्वतंत्रता

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 'इंटनेशनल रिलिजियस फ्रीडम रिपोर्ट' को देखें।

घ. आंदोलन करने की स्वतंत्रता और देश छोड़ने का अधिकार

कानून, आंतरिक आंदोलन, विदेश यात्रा, उत्प्रवास और प्रत्यावर्तन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सरकार सामान्यत: इन अधिकारों का सम्मान किया जबकि ऐसे उदाहरण भी थे जब सरकार ने इन अधिकारों को निषिद्ध किया।

देश के भीतर आवाजाही: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों में पाकिस्तान, चीन और बर्मा के विदेशी नागरिकों के अलावा विदेशियों द्वारा यात्रा पर प्रतिबंधों में ढील दी। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को कुछ राज्यों की यात्रा करते समय विशेष परमिट प्राप्त करना अपेक्षित था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में 'इनर लाइन' परमिट प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

विदेश यात्रा: सरकार, कानूनी रूप से देश के बाहर "राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए क्षतिकारी'' गतिविधियों में शामिल होने के लिए किसी भी आवेदक को पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है।

ङ. शरणार्थियों की सुरक्षा

यद्यपि, देश में शरणार्थियों के संबंध में नीति को अभिशासित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, लेकिन शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनसीआरआर) कार्यालय ने जानकारी दी कि उसने शरणार्थियों, वापस लौटने वाले शरणार्थियों, शरण चाहने वाले शरणार्थियों, साथ ही 'पर्सन्स ऑफ कन्सर्न' को न्यूनतम सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में सरकार और अन्य मानवीय संगठनों के साथ सूक्ष्म समन्वय से कार्य किया। यूएनएचसीआर ने हाल ही में पंजीकरण और सहायता के लिए अनुरोध करने वाले शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि इसका कारण पड़ोसी देशों में हिंसा और अस्थिरता है। यूएनएचसीआर ने देश में कार्यरत नौ राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ औपचारिक साझेदारी समझौते बनाए रखे हैं।

यूएनएचसीआर ने जानकारी दी कि एजेंसी के साथ 13,078 से अधिक अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले पंजीकृत हैं और बर्मा से 30,313 शरणार्थी और शरण चाहने वाले पंजीकृत हैं। जुलाई तक, सरकार श्रीलंका से 91,534 और तिब्बत से 72,291 शरणार्थियों को सुरक्षा

और सहायता प्रदान कर रही थी। केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों ने नए शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सहायता की और उन्हें सुरक्षा प्रदान की । वर्ष 2021 में, गृह मंत्रालय ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान का कब्जा लिए जाने के बाद, भारत में आपातकालीन प्रवेश चाहने वाले अफ़गान नागरिकों के लिए आपातकालीन ई-वीज़ा की घोषणा की और संकेत दिया कि किसी भी अफ़गान नागरिक को गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2021 की संसदीय जांच के अनुसार, सरकार ने कथित तौर पर हज़ारों आवेदनों में से लगभग 200 आपातकालीन वीज़ा जारी किए।

देश में शरणार्थियों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त थी जो गैर-नागरिकों को दी जाती थी। अनेक मामलों में, यूएनएचसीआर के अधिदेश के तहत शरणार्थियों और शरण चाहने वाले व्यक्तियों ने दीर्घकालिक वीज़ा और निवास परमिट के माध्यम से अपने दर्जे को नियमित करने में आने वाली बाधाओं में वृद्धि होने की जानकारी दी।

शरण तक पहुंच: कानून, शरण या शरणार्थी का दर्जा प्रदान करने के लिए उपबंध नहीं करता है और सरकार ने शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की है। एक कानूनी ढांचे के अभाव में, सरकार ने कभी-कभार अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार मानवीय आधार पर स्थितिजन्य आधार पर शरण दी। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न शरणार्थियों और शरण चाहने वाले समूहों के लिए सुरक्षा के अलग-अलग मानक हुए। सरकार ने तिब्बत और श्रीलंका से शरणार्थियों को मान्यता दी और सामान्यत:, अन्य देशों के व्यक्तियों के लिए शरणार्थी स्थिति निर्धारण पर यूएनएचसीआर के निर्णयों का सम्मान किया।

शरणार्थियों का जबरन उनके मूल देश में प्रत्यावर्तन: सरकार ने बर्मा में शरणार्थियों की वापसी की वकालत की। यूएनएचसीआर के अनुसार, वर्ष 2016 के अंत से कम से कम 26 गैर-रोहिंग्या शरणार्थियों (40,000 की अनुमानित आबादी में से) को निर्वासित किया गया है और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के साथ दुर्व्यवहार : कानून में "शरणार्थी" शब्द अंतर्विष्ट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शरणार्थियों को किसी भी अन्य विदेशी के समान माना जाता है। देश में बिना दस्तावेजों के वास्तविक उपस्थिति एक अपराध है। दस्तावेज के बिना व्यक्तियों को निरूद्ध किए जाने, जबरन वापसी और दुर्व्यवहार किया जा सकता था। ऐतिहासिक रूप से, देश ने मामलों के गुणों और परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तियों को

शरणार्थी माना।

गैर- सरकारी संगठनों ने दावा किया कि कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को परेशान किया और धमकाया, जिसमें यूएनएचसीआर द्वारा जारी किए गए शरणार्थी कार्ड और सरकारी पहचान दस्तावेजों को जब्त करना शामिल है। दिनांक 18 जुलाई को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर जम्मू के एक 'डिटेंशन सेंटर' में लगभग 200 रोहिंग्या शरणार्थियों के एक समूह पर गोली चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। शरणार्थी वर्ष 2021 से अपनी हिरासत का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल पर थे। अधिकारियों ने कहा कि छह पुलिसकर्मी और 10 रोहिंग्या घायल हो गए। पांच माह की एक बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर फेंके गए आंसू गैस के गोले के धुएं के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई। पुलिस और जेल अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया और आरोप लगाया कि लड़की की मृत्यु बीमारी से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में लड़की के माता-पिता द्वारा उसे दफ़नाए जाने हेतु हथकड़ी में लाए जाने की तस्वीरें दिखाई गईं। वरिष्ठ पुलिस और जेल अधिकारियों ने कहा कि उन्हें हथकड़ी के इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनके कर्मचारी इसमें शामिल नहीं थे।

यूएनएचसीआर ने हिरासत में लिए गए शरणार्थियों की रिहाई करने, शरण चाहने वालों की स्वतंत्र रूप से देश के भीतर आवाजाही करने और उनके दावों का आकलन करवाने और जिस राज्य में शरणार्थी पहुंचे हों और जिनका उन पर अधिकार क्षेत्र है, उस राज्य में सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उनका पक्ष समर्थन करना जारी रखा।

आवाजाही की स्वतंत्रता: शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें थी। उचित कागजी कार्रवाई न होने के कारण शरणार्थियों को गिरफ्तार करने अथवा हिरासत में लिए जाने की खबरें थी। पुलिस, कथित तौर पर कभी-कभार शरणार्थियों को अल्प सूचना के आधार पर, विशेषरूप से चुनावों के दौरान, अस्थायी रूप से शिविरों में लौटने के लिए कहती है । तमिलनाडु में संपूर्ण राज्य में 107 शरणार्थी शिविर थे, जिनमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले शरणार्थियों के लिए एक हिरासत शिविर भी शामिल था। श्रीलंकाई शरणार्थियों को तमिलनाडु में काम करने की अनुमति थी।

दिनांक 01 जनवरी से 30 जून के बीच, त्रिपुरा पुलिस ने 354 "अवैध अप्रवासियों" को गिरफ्तार किया, जिनमें 52 रोहिंग्या शामिल थे, जो वैध दस्तावेजों के बिना, राज्य में घुस आए थे।

दिनांक 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए चलाए गए अभियान के तहत 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 55 पुरुष, 14 महिलाएं और पांच बच्चे शामिल थे।
तिब्बती शरणार्थियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

रोजगार: अधिकांश यूएनएचसीआर- पंजीकृत शरणार्थियों को उनके मेजबान समुदायों की भांति ही अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिला। कुछ शरणार्थियों ने नियोक्ताओं और जमीदारों द्वारा भेदभाव किए जाने की जानकारी दी। यूएनएचसीआर के अनुसार, शरणार्थियों के लिए औपचारिक रोजगार प्राप्त करना मुश्किल था क्योंकि उनके पास दीर्घकालिक वीजा जैसे सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज नहीं थे, जिन्हें सरकार ने वर्ष 2017 में शरणार्थियों को जारी करना बंद कर दिया था।

बुनियादी सेवाओं तक पहुंच: शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को आवास, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्राप्त थी। ऐसे मामलों में, जहां शरणार्थियों को पहुंच से वंचित कर दिया गया था, ऐसा अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा शरणार्थी अधिकारों के संबंध में जानकारी के अभाव के कारण होता था।

टिकाऊ समाधान: शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए श्रीलंका सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक 'फैरी प्रोजेक्ट' को रोक दिया गया था। स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, किसी तीसरे देश में पुनर्वास और 'काम्प्लीमेंटरी पाथवेज्' हेतु प्रस्थान जारी रहे।

च. आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति और व्यवहार

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की बस्तियां पूरे देश में मौजूद थी। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों हेतु निगरानी केन्द्र द्वारा प्राप्त वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2.5 मिलियन लोग दीर्घकालिक विस्थापन में रह रहे थे, तथा ऐतिहासिक हिंसा और संघर्ष के कारण 631,000 लोग दीर्घकालिक विस्थापन में रह रहे थे, जिनमें से लगभग आधे लोग जम्मू और कश्मीर में थे।

राष्ट्रीय नीति अथवा कानून सशस्त्र संघर्षों अथवा जातीय या सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले आंतरिक विस्थापन के मामले का समाधान नहीं करते थे। आईडीपी

का कल्याण सामान्यत: राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता था, और सेवाओं में कमी अथवा जवाबदेही नहीं होने की रिपोर्टें थी। केंद्र सरकार ने आईडीपी को सीमित सहायता प्रदान की, लेकिन एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों को कुछ आईडीपी तक पहुंच बनाने की अनुमति दी; सभी आईडीपी अथवा सभी स्थितियों के लिए न तो पहुंच और न ही सहायता मानक थी। हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की सटीक संख्या प्राप्त करना मुश्किल था। जबकि, अधिकारियों ने शिविरों के निवासियों को पंजीकृत किया, अज्ञात संख्या में विस्थापित व्यक्ति शिविरों के बाहर रहते थे।

दिनांक 27 अप्रैल की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1997 में जातीय तनाव के कारण मिजोरम से भागे अधिकांश पात्र ब्रू-परिवारों को त्रिपुरा के 12 निर्दिष्ट क्षेत्रों में पुन: बसाया गया था। त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों के अनुसार, 37,136 ब्रू व्यक्तियों वाले कुल 6,159 परिवार, राज्य में पुनर्वास हेतु पात्र थे।

दिनांक 11 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, गुटी कोया समुदाय के 55,000 से ज़्यादा लोग सलवा जुडूम नामक कथित रूप से राज्य द्वारा समर्थित सेना की हिंसा के कारण विस्थापित हो गए और वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में आईडीपी के रूप में लगातार रह रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्हें ज़मीन के मालिकाना हक की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें “अनुसूचित जनजाति” का दर्जा नहीं दिया गया, जो उन्हें वैधानिक लाभों के लिए पात्र बना सकता था।

देश में आंतरिक विस्थापितों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की विषयवस्तु को देखें: https://www.internal- displacement.org.

छ. 'स्टेटलैस पर्सन्स'

राष्ट्रीयता संबंधी कानूनों को लागू किए जाने तथा जन्म के पंजीकण से संबंधित समस्याओं के परिणामस्वरूप 'स्टेटलैसनेस' की स्थिति उत्पन्न होती है। कानून के अनुसार, माता-पिता नागरिकता प्रदान करते हैं और देश में जन्म ले लेना स्वत: ही नागरिकता प्रदान नहीं करता है। दिनांक 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके पश्चात् परंतु 01 जुलाई, 1987 को अथवा उससे पूर्व देश में जन्मे बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हुई। दिनांक 01 जुलाई, 1987 को या उसके बाद देश में पैदा हुए एक बच्चे को नागरिकता केवल तब प्राप्त हुई, जबकि बच्चे के जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था। प्राधिकरणों ने देश में

दिनांक 03 दिसंबर, 2004 को अथवा उसके बाद पैदा हुए बच्चों को नागरिक माना जबकि बच्चे के जन्म के समय माता-पिता में से कम से कम एक भारत का नागरिक था और दूसरा बच्चे के जन्म के समय देश में अवैध रूप से मौजूद नहीं था। प्राधिकरणों ने दिनांक 10 दिसंबर, 1992 को अथवा उसके बाद देश के बाहर पैदा हुए बच्चों को नागरिक माना जबकि बच्चे के जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था, लेकिन प्राधिकरण, दिनांक 03 दिसंबर, 2004 के बाद देश के बाहर पैदा हुए बच्चों को नागरिक नहीं मानते हैं जब तक कि, उनके जन्म को उनके जन्म होने के एक वर्ष के भीतर वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत नहीं किया गया हो। प्राधिकारी, 12 वर्षों तक देश में रहने के बाद विशिष्ट श्रेणियों में पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं।

श्रीलंका के शरणार्थी शिविरों में पैदा हुए बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जबकि, अकेले यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने मात्र से ही शरणार्थी नागरिकता के हकदार नहीं हो जाते हैं, शरणार्थी एक कांसुलर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्रीलंकाई उच्चायोग को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उन्हें श्रीलंकाई नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

भाग 3. राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता

संविधान, नागरिकों को गुप्त मतदान द्वारा, 18 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष आवधिक चुनावों में अपनी सरकार चुनने की सक्षमता प्रदान करता है।

चुनाव और राजनीतिक भागीदारी

हाल के चुनावों में हस्तक्षेप अथवा अनियमितताएँ: राष्ट्रीय चुनावों को हस्तक्षेप और अनियमितताओं रहित, व्यापक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया गया। वर्ष के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में राज्य स्तरीय चुनाव हुए। चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया। सितंबर माह में, मीडिया ने जानकारी दी कि राजनीतिक दलों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी और उत्पीड़न अभियान चलाया।

राजनीतिक दल और राजनीतिक भागीदारी: तथापि, राजनीतिक दलों के गठन अथवा किसी भी समुदाय के व्यक्तियों पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, परंतु विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा सरकारी अधिकारियों अथवा नीतियों की आलोचना करने पर प्रतिशोध, भ्रामक जानकारी फैलाना और प्रचार के लिए सोशल मीडिया का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में असमर्थतता सहित अनेकानेक बाधाओं की जानकारी दी गई थी। चुनाव संबंधी कानून के अनुसार राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग प्रतिबंधित है और चुनाव आयोग ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले जनमत सर्वेक्षणों और अंतिम चरण (बहु-चरणीय चुनाव में) के पूरा होने तक 'एग्जिट पोल' के नतीजे जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य चुनावों में चुनावी हिंसा की खबरें सामने आईं, जहां 8 जुलाई को हुए ग्राम परिषद चुनावों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है।

दिनांक 23 मार्च को, विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी को वर्ष 2019 के आम चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के आरोपों के तहत गुजरात के एक न्यायालय ने दोषी ठहराया और दो वर्ष के कारावास का दंड दिया। यह मामला, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि श्री गांधी ने पूछा कि “सभी चोरों का सामान्य रूप से उपनाम मोदी ही क्यों होता है।” तो यह कहते हुए उन्होंने “मोदी” उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है, इस अपराध के लिए दोषसिद्धि होने पर उन्हें दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, जो अपराध के लिए अधिकतम दंड है, जिसके कारण श्री गांधी को स्वतः ही संसद की सदस्यता से निलंबित हो गए। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने दोषसिद्धि और उसके परिणामस्वरूप निलंबन की आलोचना की, और प्रश्न किया कि क्या आरोपों को मानहानि माना जा सकता है, जबकि ऐसे आरोप तब कार्रवाई योग्य होते हैं। जब मानहानि किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध होती है, न कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध की जाती है, यदि दोषसिद्धि, लागू होती है, तो गांधी किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन होने के अयोग्य हो जाते हैं और वर्ष 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते, जिसे विपक्ष ने भाजपा द्वारा “विपक्ष के प्रमुख चेहरे” और कांग्रेस पार्टी को चुनावी प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने से रोकने का प्रयास बताया। दिनांक 04 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने श्री गांधी को मार्च माह में दिए गए दंड को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि निचली अदालतों को

अधिकतम दंड देने के पीछे कोई कोई कारण नहीं बताया है। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि सार्वजनिक हस्तियों से सार्वजनिक रूप से भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है और श्री गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था। 07 अगस्त को श्री गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल कर दिया गया।

महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों की भागीदारी: धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं ने महिलाओं को राजनीति संस्थानों में आनुपातिक भागीदारी करने से रोका। सितंबर माह में, संसद ने संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है। यह कानून संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है।

भाग 4. सरकार में भ्रष्टाचार

कानून, कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के लिए आपराधिक दंड दिए जाने का उपबंध करता है, और सरकार ने सामान्यत: कानून को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित किया। तथापि, वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार की अनेकानेक जानकारियां प्राप्त हुई।

भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सरकार के अनेकानेक स्तरों पर मौजूद था। देश के भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल ने जानकारी दी कि उसे वर्ष 2021 से लेकर जून माह तक भ्रष्टाचार की 169 औपचारिक शिकायतें प्राप्त हुईं ।

गैर सरकारी संगठनों ने पुलिस सुरक्षा, विद्यालयों में प्रवेश, जलापूर्ति और सरकारी सहायता जैसी सेवाओं में गति लाने के लिए रिश्वत दिए जाने की जानकारी दी। नागरिक समाज संगठनों ने संपूर्ण वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार पर जनता का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रदर्शनों और वेबसाइटों के माध्यम शामिल थे जिसमें भ्रष्टाचार की कहानियां थी।

देश में भ्रष्टाचार के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का *'इवेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर द कन्ट्री'* तथा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का *'इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट' देखें* जिसमें वित्तीय अपराधों के बारे में जानकारी शामिल है।

भाग 5. मानवाधिकारों के कथित दुरुपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी जांच के संबंध में सरकारी द्वारा कार्रवाई

मानवाधिकारों के रुझानों के पक्ष समर्थन अथवा निगरानी में लगे कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह, मानवाधिकार स्थितियों अथवा मामलों की निगरानी अथवा जांच करने और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए सरकारी प्रतिबंध के बिना कार्य करते हैं। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी कमचारियों ने बमुश्किल ही कभी मानवाधिकार से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया हो, अनेक मानवाधिकार समूहों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

मार्च में, गृह राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने वर्ष 2017 और 2022 के बीच एफसीआरए के उपबंधों के तहत देशभर में 1,827 लाभ नहीं अर्जित करने वाले संगठनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। मानवाधिकारों की निगरानी अथवा जांच करने अथवा स्थानीय संगठनों के साथ काम करने वाले सक्रिय अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए थे, जिससे उन्हें विदेशी धन तक पहुंचने बनाने हेतु निषिद्ध कर दिया गया था। कुछ मामलों में, एफसीआरए लाइसेंस के वापिस लिए जाने के बाद, कर प्राधिकरणों ने संगठनों की लाभ नहीं अर्जित करने वाली स्थिति और संबंधित कर लाभों को रद्द कर दिया। संगठनों ने स्व-नियंत्रणकारी और भय के परिवेश की जानकारी दी, जबकि कुछ संगठनों ने कहा कि उन्हें मानवाधिकार अथवा पर्यावरण सक्रियता जैसे "राजनीतिक रूप से संवेदनशील" विषयों पर उनके काम के लिए प्रतिशोध के रूप में एफसीआरए नवीकरण से वंचित कर दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 5,789 एनजीओ ने यह कहते हुए कि ''हमारे प्रचालन का सबसे बड़ा खतरा'' एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण और उसके रद्द होने की संभावना है, इसलिए उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया था। कार्यकर्ताओं ने संकेत दिया कि विशेषरूप से सरकार द्वारा वर्ष 2020 के संशोधन में नियमों को और सुदृढ़ किए जाने पश्चात्, कुछ संगठनों को एफसीआरए का पालन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अप्रैल माह के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ऑक्सफैम इंडिया के विरूद्ध मामला दर्ज किया था। दिनांक 04 अगस्त को, मीडिया ने जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने बाल अधिकार एनजीओ- 'सेव द चिल्ड्रन' के अपने अन्य संगठन- 'बाल रक्षा भारत' का एफसीआरए परमिट वापस ले लिया। गृह मंत्रालय ने 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' और 'सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज' के एफसीआरए लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं।

दिनांक 17 जुलाई को गृह मंत्रालय ने एफसीआरए से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए एक 'हेल्पडेस्क' स्थापित किया था।

एनएचआरसी ने अनेक गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया और अनेक एनएचआरसी समितियों में एनजीओ का प्रतिनिधित्व था। जम्मू और कश्मीर में कुछ मानवाधिकार निगरानीकर्ता, मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम हुए थे, लेकिन समय-समय पर सुरक्षा बलों, पुलिस और अन्य कानून का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें रोका अथवा परेशान किया। कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को कभी-कभार वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्होंने ने जानकारी दी कि कभी-कभार आधिकारिक उत्पीड़न और प्रतिबंधों ने सामग्री के सार्वजनिक वितरण में बाधा डाली थी।

मानवाधिकार रक्षकों के विरूद्ध प्रतिशोध: मानवाधिकार रक्षकों, विशेषरूप से महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को धमकियां देने और हिंसा की अनेक रिपोर्टें सामने आई हैं। 'फ्रंट लाइन डिफेंडर्स' की वैश्विक विश्लेषण, 2022 रिपोर्ट में मानवाधिकार रक्षक गोकराकोंडा नागा साईबाबा के मामले का उल्लेख किया गया है, जो यूएपीए के तहत कारावास में बंद रहे। अगस्त में, मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने उल्लेख किया कि साईबाबा की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उनकी हिरासत अमानवीय थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय: सामान्यतः, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय संगठनों की यात्राओं के साथ सहयोग किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच नहीं थी।

सरकारी मानवाधिकार निकाय: एनएचआरसी, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने और निवारण करने तथा मानवाधिकारों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और परामर्शदात्री निकाय है, जिसे और के दोहरे जनादेश के लिए स्थापित किया गया है। यह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति जवाबदेह था, परंतु यह गृह मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के साथ सूक्ष्मता के साथ समन्वय कर कार्य करता है। कानून, एनएचआरसी को समन जारी करने और साक्ष्य हेतु बाध्य करने, प्रलेखन का प्रस्तुतिकरण करने और सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवाने के लिए अधिकृत करता है। एनएचआरसी, सरकारी हत्याओं के पीड़ितों या उनके परिवारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए मुआवजे के रूप में

उपयुक्त उपचार की सिफारिश करता है।

एनएचआरसी के पास न तो अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को लागू करने का अधिकार है और न ही सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के विरूद्ध आरोपों को समाधान करने की शक्ति है। मार्च माह में, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक एजेंसी ने एनएचआरसी की पुनर्मान्यता को एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया था, जिससे वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य हो गया था। एनएचआरसी की जांच में पुलिस की भागीदारी, नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य चिंताओं के बीच, हाशिए पर रहने वाले समूहों की रक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई संबंधी चिंताओं के चलते एनएचआरसी के दर्जे को पुनः प्राधिकृत नहीं किया गया था।

कानून ने राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन को अधिदेशित किया था। सितंबर माह तक, 26 राज्य-स्तरीय मानवाधिकार आयोग थे। मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया कि स्थानीय राजनीति ने राज्य समितियों को प्रभावित किया है, जिसके संबंध में उनका दावा था कि उनके द्वारा एनएचआरसी की तुलना में निष्पक्ष निर्णय देने की संभावना कम थी।

भाग 6. भेदभाव और सामाजिक दुर्व्यवहार

महिलाएं

बलात्कार और घरेलू हिंसा: कानून ने पीड़ित की आयु जैसे कारकों के आधार पर बलात्कार के लिए पृथक दंड का प्रावधान किया। कानून ने ज्यादातर मामलों में बलात्कार को 10 वर्ष की कारावास के न्यूनतम दंड के साथ अपराध करार दिया, परंतु जब महिला की आयु 15 वर्ष से अधिक थी उस स्थिति में वैवाहिक बलात्कार अवैध नहीं था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कानून वयस्क पुरुषों के बलात्कार को अपराध नहीं मानता है। 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में कम से कम 20 वर्ष के दंड से लेकर आजीवन कारावास के बीच दंड दिया जाता था; 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यूनतम दंड आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड था । एनआरसीबी की वर्ष 2021 की *क्राइम इन इंडिया* रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2021 में बलात्कार और घरेलू हिंसा सहित महिलाओं के विरूद्ध 428,278 अपराध दर्ज किए गए (हाल का डेटा उपलब्ध है)। राष्ट्रीय अपराध सांख्किी से संकेत मिलता है कि दलित महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले कमजोर और आदिवासी समुदायों की महिलाओं का बेतहाशा शोषण

किया गया।

बलात्कार पीड़ितों के लिए कानून को लागू करवा पाना और उपलब्ध कानूनी उपाय, अपर्याप्त थे, और न्यायिक प्रणाली समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने में असमर्थ थी। एक एनजीओ, *इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन* ने कहा कि बलात्कार के मामलों में सजा होने की दर कम होने का मुख्य कारण है कि यौन हिंसा बेरोकटोक जारी रहती है और कभी-कभार इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों ने पाया कि लंबे समय तक मुकदमों का चलना, पीड़ित को सहायता का अभाव, और गवाहों और पीड़ितों की अपर्याप्त सुरक्षा प्रमुख चिंताएं थी।

सरकार ने बलात्कार के मुकदमों के लंबे समय तक चलने का समाधान करने के लिए प्रयास किए और महिलाओं से जुड़े मामलों में तेजी लाने की मांग की। जुलाई तक देश भर में 855 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' चल रहे थे । इसके अतिरिक्त, अनेक उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को लंबित बलात्कार के मामलों को तुरंत निपटाने के लिए और अधिक 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' स्थापित करने का निदेश दिया। कुछ मामलों में, पुलिस ने बलात्कार पीड़ितों और उनके हमलावरों के बीच सुलह को प्रोत्साहित किया अथवा महिला बलात्कार पीड़ितों को अपने अपराधियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी खबरें थीं कि बलात्कार पीड़ितों की न्यायालयिक जांच के दौरान तथाकथित कौमार्य परीक्षण किए गए थे।

नागरिक समाज के संगठनों ने हिंसा के पीड़ितों को यौन-उत्पीड़न जागरूकता और पीड़ित-केंद्रित, कलंक रहित, गोपनीय और निशुल्क देखभाल प्रदान की और उन्हें तृतीयक देखभाल केन्द्रों, सामाज कल्याण और विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु भेजा गया, के लिए। कुछ ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए अल्पकालिक आश्रय भी प्रदान किया। इनमें से कुछ सेवाओं का उद्देश्य, महिलाओं और बच्चों को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

केंद्र सरकार ने हिंसा की रिपोर्ट करते समय महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने के लिए कार्यक्रम लागू किए। इसमें स्वास्थ्य सहायता की रिपोर्टिंग और पहुंच के लिए केंद्र, रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क, आपात स्थिति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, और पीड़ित को सहानुभूतिपूर्वक तथा आदर के साथ सहायता

उपलब्ध कराने हेतु पुलिस, अभियोजकों, चिकित्सा अधिकारियों और न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

मई माह के दौरान, दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी की मांग के चलते प्रदर्शन के दौरान अनेक महिला पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। श्री सिंह के विरूद्ध मामले की जांच की जा रही थी।

दिनांक 26 अक्तूबर तक, उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 लोगों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय नहीं दिया था, जिसमें बानो की तीन वर्ष की बेटी भी शामिल थी। न्यायालय की दंड संबंधी दिशानिर्देशों के तहत पैरोल के योग्य होने के बाद, वर्ष 2022 में तीन व्यक्तियों को कारागार से रिहा कर दिया गया था।

महिला जननांग को विकृत करना/ काटना (एफजीएम/सी): कोई भी राष्ट्रीय कानून, एफजीएम/सी की कुरीति पर लगाम नहीं लगाता है। तथापि, इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर वर्ष 2017 से उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित था। मानवाधिकार समूहों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में केंद्रित लगभग दस लाख लोगों के धार्मिक समूह दाऊदी बोहराओं के 70 से 90 प्रतिशत जनसंख्या एफजीएम/ सी रीति का पालन करती थी।

लिंग आधारित हिंसा अथवा उत्पीड़न के अन्य रूप: व्यापक यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या बनी हुई है। प्राधिकरणों को 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी राज्य विभागों और संस्थानों को यौन उत्पीड़न को रोकने और उनका समाधान करने के लिए समितियों को संचालित करना अपेक्षित होता है, जिसे सामान्यत: " महिलाओं के साथ छेड़छाड़" कहा जाता है।

दिनांक 16 जून को तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक, राजेश दास को विल्लुपुरम की एक न्यायालय ने यौन शोषण का दोषी पाया और तीन वर्ष की कारागार का दंड और जुर्माने की सजा सुनाई। भारतीय पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी ने दास पर वर्ष 2021 में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

गैर-सरकारी संगठनों ने सूचित किया कि जनजातीय महिलाओं ने अत्यधिक यौन हिंसा का अनुभव किया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/ एसटी) में महिलाओं के बीच बलात्कार के मामले, कुल संसूचित मामलों का 15 प्रतिशत हैं, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जनसंख्या का 5 प्रतिशत ही हैं। महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अत्याचार और अपराधों पर गृह मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की उच्च दर और दोष सिद्धि की कम दर और पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 से 19 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी अवधि में दोष सिद्धि दर 27 प्रतिशत के निचले स्तर पर थी, जबकि मामलों की लंबन दर 84 प्रतिशत थी।

कानून ने विवाह में दहेज लेने को निषिद्ध किया है, लेकिन अनेक परिवारों ने दहेज देना और लेना जारी रखा, और दहेज विवाद कभी- कभार हिंसा का कारण भी बन गया। अधिकांश राज्यों ने दहेज निषेध अधिकारियों को नियुक्त किया। सभी विचारण न्यायालयों को दहेज हत्या के मामलों में प्रतिवादियों पर हत्या का आरोप लगाना आवश्यक था। दिनांक 19 मई को झारखंड के पलामू जिले में एक महिला की उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसके माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया कि उसे नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि उसके ससुराल वाले दहेज में 500,000 रुपये (6000 अमरीकी डालर) की मांग करते थे, जो वे वहन नहीं कर सकते थे। बाद में, पुलिस ने उसके पति सहित परिवार के सात सदस्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया।

कुछ मामलों में, माता-पिता द्वारा निर्धारित किए गए विवाह की व्यापक प्रथा के परिणामस्वरूप जबरन विवाह हुआ, जो अवैध था। महिलाओं के शादी करने से मना करने पर उन पर हमला किए जाने की खबरें थी। मई में, झारखंड के पलामू जिले में ग्राम परिषद के निदेश पर ग्रामीणों ने एक आदिवासी लड़की पर शारीरिक हमला किया, उसका सिर मुंडवा दिया और उसके गले में जूते डालकर परेड कराई, क्योंकि उसने अपने परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया था।

ऐसी रिपोर्टें थी कि हिंदू देवताओं (अनुष्ठान हेतु वेश्यावृत्ति का एक रूप) के प्रतीकात्मक विवाह की *देवदासी प्रणाली* में महिलाएं और बालिकाएं, यौन तस्करी सहित पुजारियों और मंदिर

संरक्षकों के हाथों बलात्कार अथवा यौन शोषण का शिकार होती थी। यह प्रथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई गई और यह सामान्यत: लगभग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की बालिकाओं को लक्षित करती थी। गैर-सरकारी संगठनों ने बताया कि कुछ परिवारों ने घरेलू वित्तीय बोझ और शादी में दहेज देने की संभावना को कम करने के लिए निचली जातियों की लड़कियों का शोषण किया। इस प्रथा ने लड़कियों को उनकी शिक्षा और प्रजनन अधिकारों से वंचित कर दिया और उन्हें कलंकित किया और उनसे भेदभाव किया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कानून ने देवदासी प्रणाली को प्रतिबंधित कर दिया और इस प्रथा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को देखभाल उपरांत सेवाएं प्रदान की। इन कानूनों का प्रवर्तन शिथिल था।

किसी भी संघीय विधि ने जादू टोना के आरोपों का समाधान नहीं किया, लेकिन कुछ राज्यों में जादू टोने को अपराध मानने वाले कानून थे। जादू टोना के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने हेतु विकल्प के रूप में अधिकारी अन्य कानूनी उपबंधों का उपयोग कर सकते थे।
एनसीआरबी ने वर्ष 2021 में 68 मृत्यु होने की जानकारी दी गई, जिनके पीछे जादू- टोना प्रयोजन था। दिनांक 24 जुलाई को ओडिशा में जादू टोना करने के संदेह में दो महिलाओं की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। पुरुषों को भी कभी-कभार आरोपी बनाया जाता था, और मीडिया ने बताया कि केंद्रपाड़ा जिले में, ग्रामीणों की भीड़ ने जादू-टोना करने के संदेह में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार डाला गया। मामले की जांच की जा रही थी।
झारखंड और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने जादू टोना से संबंधित हत्याओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का उद्देश्य एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था, लोगों को अंधविश्वासों में विश्वास करने से रोकना और लोगों से गांव के चिकित्सकों और जादूगरों पर भरोसा करने के बजाय चिकित्सकों से परामर्श करने का आग्रह करना था।

भेदभाव: महिलाओं को रोजगार, व्यवसाय और ऋण तक पहुंच में भेदभाव का सामना करना पड़ा। बिहार सहित अनेक आदिवासी भूमि प्रणालियों में आदिवासी महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया। परिसंपत्ति तथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित अन्य कानून अथवा रीति- रिवाज, महिलाओं को भूमि उपयोग, प्रतिधारण या बिक्री पर बहुत कम नियंत्रण प्रदान करते हैं। सरकार ने भेदभाव कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया।
कानून, कार्यस्थल में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान करना अपेक्षित होता है परंतु नियोक्ताओं ने कथित तौर पर अक्सर महिलाओं को एक ही नौकरी के लिए पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया, रोजगार में महिलाओं के

विरूद्ध भेदभाव किया तथा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम बढ़ावा दिया।

प्रजनन संबंधी अधिकार: सरकारी प्राधकरणों द्वारा जबरन और अनैच्छिक नसबंदी किए जाने की खबरें थी। सरकार, दशकों से, परिवार नियोजन के रूप में महिला नसबंदी को बढ़ावा दे रही है। कुछ महिलाओं, विशेष रूप से गरीब और निम्न जाति की महिलाओं को कथित तौर पर उनके पति और परिवारों द्वारा 'ट्यूबल लिगेशन' या 'हिस्टेरेक्टॉमी' करने के लिए दबाव डाला गया था। सरकार ने नसबंदी सहित गर्भनिरोधक विधियों को स्वीकार करने वाली महिलाओं के लिए मजदूरी के नुकसान, परिवहन लागत, दवाओं और मरहम-पट्टी और अनुवर्ती दौरे के लिए मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया। परिवार नियोजन के अन्य रूपों तक पहुंच पर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं थे; तथापि, गर्भनिरोधक विकल्पों की सीमा का विस्तार करने के लिए हाल के प्रयासों के बावजूद, वैकल्पिक गर्भनिरोधक विकल्पों की लागत और सीमित उपलब्धता के कारण स्वैच्छिक नसबंदी पसंदीदा विधि बनी रही।

दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को दंडित करने वाली नीतियों और दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया था परंतु विभिन्न राज्यों में विद्यमान थी। कुछ राज्यों ने अधिकतम दो बच्चों वाले वयस्कों के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा और सब्सिडी जारी रखी। उदाहरण के लिए, असम ने राज्य सरकार के लाभ तक पहुंच बनाने और कुछ कार्यालयों को चलाने के लिए दो-बच्चे के मानदंड को जोड़ा।

अनेक राज्यों ने एक परिवार नियोजन विधि के रूप में महिला नसबंदी को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम भरी, घटिया प्रक्रियाएं और गैर-स्थायी तरीकों तक सीमित पहुंच हुई। केंद्र सरकार के पास राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुविधाओं को प्रत्येक नसबंदी प्रक्रिया के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया और महिलाओं की नसबंदी के लिए कोटा निर्धारित किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में महिलाओं, विशेषरूप से हाशिए पर रहने वाले और कम आय वाले समूहों की महिलाओं, को प्रदान की जाने वाली देखभाल, सामान्यत: अपर्याप्त थी और इसके परिणामस्वरूप उनमें उपचार न करवाने की इच्छा हुई। सरकारी पहल के परिणामस्वरूप संस्थागत जन्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन ऐसी रिपोर्टें थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक बोझ था, और वे साधनों का अभाव और कम आपूर्ति झेल रहे थे।

सरकार के दिशानिर्देश, स्वास्थ्य सुविधाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देते हैं कि यौन हिंसा के सभी स्वरूपों के पीड़ितों को गर्भनिरोधक सहित सभी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक तत्काल पहुंच प्राप्त हो। तथापि, सीमित संसाधनों और सामाजिक कलंक के कारण, दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन असमान था।

गुणवत्तापूर्ण प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सीमित पहुंच - जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव के समय कुशल देखभाल, और बच्चे के जन्म के बाद के सप्ताहों में सहायता शामिल है- के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर में योगदान दिया। वर्ष 2022 में, 'रजिस्ट्रार जनरल' ने देश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया, जिसके अनुसार यह वर्ष 2016-18 के दौरान 100,000 पर 113 से घटकर 2017-19 के दौरान 100,000 पर 103 हो गई । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और असम राज्यों में 100,000 जीवित जन्म पर 130 से अधिक अर्थात् "बहुत उच्च" एमएमआर था। अनुशंसित संख्या में प्रसवपूर्व देखभाल दौरे करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव कराने और प्रसवोत्तर जांच करवाने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों में सर्वाधिक कम था।

प्रणालीगत नस्लीय या जातीय हिंसा और भेदभाव

संविधान, धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरूद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के प्रयोजन से जातियों और जनजातियों का पंजीकरण जारी रहा क्योंकि संघीय और राज्य सरकारों ने बेहतर गुणवत्ता वाले आवास, विद्यालयों और सरकारी नौकरियों में कोटा और सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान करने के लिए निचली जाति के समूहों के सदस्यों के लिए कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखा। आलोचकों ने दावा किया कि निचली जातियों की सहायता के लिए अनेक कार्यक्रम घटिया कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार या दोनों समस्याओं से ग्रस्त थे।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव जारी रहा । एनआरसीबी ने वर्ष 2021 में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध 50,900 अपराध दर्ज किए।

दलित जातियों के सदस्यों के विरूद्ध सामाजिक हिंसा की अनेक मीडिया रिपोर्टें थी। दिनांक 6 अप्रैल को, मीडिया ने खबर दी कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में रहने वाले एक दलित व्यक्ति, एम. मल्लेश, जिस पर खेतों से बिजली के तार चोरी करने का आरोप था, उसकी 26

मार्च की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 23 सितंबर को, प्रेस ने जानकारी दी कि बिहार के पटना जिले में साहूकार प्रमोद सिंह, उनके बेटे और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने ऋण विवाद को लेकर एक दलित महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र किया, पीटा और उसपर पेशाब किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

एनजीओ ने जानकारी दी कि दलित छात्रों को कभी-कभार उनकी जाति के कारण कुछ विद्यालयों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता था, प्रवेश से पूर्व उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता था, प्रात:काल की प्रार्थना में जाने नहीं दिया जाता था, कक्षा के पीछे बैठने के लिए कहा जाता था, अथवा विद्यालय के शौचालयों को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि उन्हें समान सुविधाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता था। ऐसी भी खबरें थीं कि कुछ शिक्षकों ने दलित बच्चों के गृहकार्य को जांचने से इनकार कर दिया, दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन देने से इनकार कर दिया, और दलित बच्चों को उच्च जाति के परिवारों के बच्चों से अलग बैठने के लिए कहा गया।

दिसंबर 2022 में, मीडिया ने जानकारी दी कि तमिलनाडु के वेंगैवायल गांव में दलित परिवारों को पानी की आपूर्ति करने वाली 'ओवरहेड' पेयजल टंकी में कथित रूप से मानव मल डाल दिया गया था। उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से दूषित किए गए जल को पीने के बाद अनेक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने पाया कि गांव में जातिगत भेदभाव के आरोप प्रमाणिक थे, जिसके परिणामस्वरूप दलितों को स्थानीय मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ग्रामीणों ने न्यायालय में याचिका दायर की और उनके अधिवक्ता ने कहा कि जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। 03 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए आयोग को और समय दिया था।

दलितों, देश के मूल निवासियों और निशक्त व्यक्तियों के संबंध में अनौपचारिक क्षेत्र में भेदभाव हुआ। 'अमेरिकन बार एसोसिएशन' की रिपोर्ट- 'चैलेंजेज फॉर दलितस् इन साउथ एशिया', में कहा गया कि, "दलितों को सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण (या कोटा) प्रदान किया गया है; तथापि, आरक्षण निजी क्षेत्र की नौकरियों पर लागू नहीं होता है।''

देश के मूल निवासी

संविधान, स्वदेशी व्यक्तियों के वंचित समूहों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

अधिकार प्रदान करता है। कानून, स्वदेशी व्यक्तियों को विशेष दर्जा प्रदान करता है, लेकिन अक्सर, प्राधिकारियों ने व्यवहार में उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और ऐसी रिपोर्टें थी कि सरकार अथ्वा इसके एजेन्टों ने देश के मूल निवासियों को डराया- धमकाया अथवा उनके साथ हिंसा की।

अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां स्वदेशी समूह, राज्य की अधिकांश की आबादी अधिकांश भाग होते है, कानून आदिवासी अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कुछ स्थानीय प्रधिकारियों ने इन प्रावधानों की अवहेलना की। कानून, अन्य राज्यों के नागरिकों सहित किसी भी गैर-आदिवासी व्यक्ति को वैध परमिट के बिना सरकार द्वारा स्थापित आंतरिक सीमा को पार करने से रोकता है। कोई भी व्यक्ति बिना प्राधिकार, संरक्षित क्षेत्रों से रबर, मोम, हाथीदांत, या अन्य वन उत्पादों को नहीं ले जा सकता है। जनजातीय से संबंधित प्राधिकारियों को गैर-जनजातीय व्यक्तियों को भूमि की बिक्री को भी अनुमोदित करना होना है।

दिनांक 05 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रवेश शुक्ला द्वारा एक आदिवासी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार और उस पर पेशाब करते हुए दिखाए जाने के आरोप में प्रवेश शुक्ला को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

दिनांक 11 जुलाई को, मध्य प्रदेश पुलिस ने झाबुआ में अपने छात्रावास के एक अघोषित निरीक्षण के दौरान आदिवासी छात्राओं के यौन उत्पीड़न के लिए एक सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया था।

बालक-बालिकाएं

जन्म का पंजीकरण : ऐसे बच्चे जिनकी नागरिकता या पंजीकरण नहीं है, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बनाने, विद्यालय में दाखिला लेने या जीवन में बाद में पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं।

बाल दुर्व्यवहार : कानून, बाल दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक शोषण, उपेक्षा, अथवा मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराधों के रूप में मान्यता नहीं देता है। '*क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021*' से पता चलता है कि वर्ष 2021 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पीओएससीओ) के तहत बाल यौन शोषण के 53,874 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, 5,079 लोगों को दोषी ठहराया गया और

10,099 लोग बरी हो गए। 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' तथा विश्व बैंक की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि नवंबर, 2012 और फरवरी, 2021 के बीच पीओएससीओ के तहत दर्ज किए गए 78 प्रतिशत मामले लंबित थे।

बाल विवाह, कम आयु में किए गए विवाह और जबरन विवाह : कानून, विवाह हेतु महिलाओं की आयु 18 और पुरुषों की आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है और यह न्यायालयों को कम आयु में किए गए विवाह और जबरन विवाह को रद्द करने का अधिकार देता है। अधिकारियों ने सतत् रूप से कानून को लागू नहीं किया अथवा बलात्कार पीड़तों को बलात् विवाह करने के लिए मजबूर करने की प्रथा का समाधान नहीं किया। एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 1,062 मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2020 के 792 मामलों के समक्ष हुई एक उल्लेखनीय वृद्धि है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 से 2021 के एनएफएचएस डेटा यह संकेत देते हैं कि पूर्व के एनएफएचएस में 27 प्रतिशत महिलाओं की तुलना में बाल विवाह की दर घटकर 23 प्रतिशत हो गई।

कानून, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के बीच शादी को अवैध नहीं मानता है, लेकिन इस प्रकार के विवाह को शून्यकरणीय विवाह मानता है। कानून उन व्यक्तियों के लिए दंड भी निर्धारित करता है जो बाल विवाह करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, या उसमें भाग लेते हैं। यह कानून बाल विवाह को रोकने के लिए हर राज्य में पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति उपबंध करता है। इन व्यक्तियों के पास, जब बाल विवाह हो रहा हो तो, उस स्थिति में हस्तक्षेप करने, कानून के उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने, माता-पिता के विरूद्ध आरोप दायर करने, बच्चों को जोखिम भरी परिस्थितियों से निकालने और उन्हें स्थानीय बाल संरक्षण अधिकारियों तक पहुंचाने की शक्ति है।

दिनांक 03 फरवरी को, असम सरकार ने बाल विवाह के विरूद्ध एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 3,000 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

बाल यौन शोषण: कानून, बाल अश्लील साहित्य को प्रतिबंधित करता है और सहमति की कानूनी आयु को 18 वर्ष निर्धारित करता है। एक नाबालिग के साथ यौन संबंध के लिए भुगतान करना, एक नाबालिग को व्यावसायिक यौन या "अवैध संभोग" के किसी भी रूप में

प्रेरित करना अथवा वाणिज्यिक यौन शोषण या बाल यौन तस्करी के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को बेचना या खरीदना अवैध है। उल्लंघन करने वालों को 10 वर्ष का कारावास और शास्ति लगाने का प्रावधान है।

शिशुहत्या सहित निशक्त बच्चों की शिशुहत्या: कानून ने जन्मपूर्व लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित किया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, वर्ष 2021 तक लिंग अनुपात, प्रति 1,000 पुरुषों पर 903 महिलाओं का अनुमान लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इसके लिए किसी विशेष लिंग हेतु लिंग चयन और पांच वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की अधिक मृत्यु को उत्तरदायी ठहराया है।

यहूदीवाद का विरोध

यहूदी समुदाय में लगभग 4,650 यहूदी व्यक्ति थे।

मई माह में, कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष के दौरान, मणिपुर में बेनी मेनाशे, भारत-तिब्बती समुदाय के सदस्यों को उनके धर्म और जातीयता के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ा और उन्हें निशाना बनाया गया। हिंसा के परिणामस्वरूप बनी मेनाशे समुदाय के दो सदस्यों की हत्या हो गई और दो यहूदी उपासनागृह, एक धार्मिक विद्यालय और तीन यहूदी गाँव नष्ट हो गए, समुदाय के कई सदस्य मणिपुर और पड़ोसी राज्य मिजोरम में विस्थापित हो गए। नागरिक समाज के अनुसार, बेनी मेनाशे समुदाय को उनके मृत सदस्यों के शवों को उचित धार्मिक ढ़ंग से दफनाने हेतु समारोह आयोजित करने के लिए शवों तक पहुंच से भी वंचित कर दिया गया था। बेनी मेनाशे समुदाय के लोगों ने बताया कि उनके समुदाय पर अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाया गया था, कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्हें "इज़राइल लौटने" का निदेश दिया गया था।

सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक बयान दिए और सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी राजनीतिक दल के लोग और प्रवासी नेता जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए थे, जो देश में '' एक "सब कुछ नियंत्रित करने वाले यहूदी व्यक्ति" के यहूदी-विरोधी षड्यंत्र सिद्धांत को हवा दे रहे थे, जो घटनाओं को प्रभावित कर रहा था। दिनांक 06 अक्तूबर को, भाजपा के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट ने एक संपादित फोटो पोस्ट की जिसमें राहुल गांधी को सोरोस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

देश में यहूदी विरोधी घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, चाहे वे घटनाएं धर्म से प्रेरित थी अथवा नहीं, और धर्म अथवा विश्वास को मानने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में यहूदियों की सक्षमता के संबंध में जानकारी के लिए, कृपया https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस् की *इंटरनेशनल रीलिजियस फ्रीडम रिपोर्ट* देखें

मानव तस्करी

मानव तस्करी के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वार्षिक रिपोर्ट को https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ पर देखें।

यौन झुकाव और लिंग पहचान अथवा अभिव्यक्ति अथवा यौन अभिलक्षणों के आधार पर हिंसा, अपराधीकरण और अन्य दुर्व्यवहारों के कृत्य

अपराधीकरण: वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। वर्ष 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को समलैंगिक स्त्रियों (लेज़बियन), समलैंगिक (गे), उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष (क्वीर) और इंटरसेक्स (एलजीबीटीक्यूआई+) व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सुधारों की योजना तैयार करने का निदेश दिया।

हिंसा और उत्पीड़न: गैर सरकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के सदस्यों के विरूद्ध शारीरिक हमले और बलात्कार सहित भेदभाव हिंसा की जानकारी दी। ऐसी खबरें थी कि पुलिस अधिकारियों ने एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध किए और पीड़ितों को घटनाओं की रिपोर्ट न करने के लिए मजबूर करने हेतु गिरफ्तारी की धमकी दी। गैर सरकारी संगठनों की सहायता से, अनेक राज्यों ने पुलिस को शिक्षा और संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया। विशेषज्ञों ने स्वीकार किया कि कुछ कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों ने एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों के विरूद्ध पारिवारिक हितों का पक्ष लिया।

दिनांक 29 जून को, मीडिया ने जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम में एक ट्रांसजेंडर महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के लिए वर्ष 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (टीपीआरए) के तहत चार लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज

किया है।

भेदभाव: कानून, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, या यौन विशेषताओं के आधार पर राज्य और व्यक्ति विशेष द्वारा भेदभाव को वर्जित करता है। सरकार इन कानूनों को अनियमित रूप से लागू किया। टीपीआरए के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना था कि ट्रांसजेंडर अथवा तीसरे लिंग के व्यक्तियों के अधिकारों के साथ भेदभाव न किया जाए। नागरिक समाज के विशेषज्ञों ने टीपीआरए के कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली समस्याओं की जानकारी दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चिकित्सा उपचार और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां शामिल थी।

दिनांक 17 अक्तूबर के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के पैनल ने समान लिंग विवाह के वैधीकरण के मामले को संसद द्वारा विचार किए जाने हेतु स्थगित कर दिया, उसमें यह उल्लेख किया गया था कि न्यायालय के पास समान लिंग वाले जोड़ों को शामिल करते हुए मौजूदा विवाह कानून की पुनर्व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने चार अलग-अलग मत जारी किए और अनेक न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों को भेदभाव से बचाया जाए। मुख्य न्यायाधीश के मत ने नागरिक संघों में प्रवेश करने के लिए समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता प्रदान करने का समर्थन किया, तथापि, इसपर पांच में से तीन न्यायाधीश यह कहते हुए असहमत थे कि इसे भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। सरकार, एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच के लिये एक पैनल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया गया कि पैनल एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों के लिए समान-लिंग विवाह के वैधीकरण के अलावा वित्तीय अधिकारों और अतिरिक्त विधिक सुरक्षोपाय की जांच करेगा, एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के सदस्यों ने निराशा व्यक्त की कि उच्चतम न्यायालय ने समान-लिंग विवाह को वैध नहीं ठहराया, परंतु न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर ध्यान दिया, जिन्होंने समुदाय का समर्थन किया।

एलजीबीटीक्यूआई+ समूहों ने विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यापक सामाजिक भेदभाव और हिंसा की जानकारी दी। समान लिंग विवाह के लिए सार्वजनिक समर्थन बढ़ता रहा। जुलाई के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 50 प्रतिशत अस्वीकृति के समक्ष 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समान विवाह अधिकारों का समर्थन किया। 'प्यू रिसर्च सेंटर' के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 53 प्रतिशत वयस्क समान लिंग विवाह को वैध बनाने के पक्ष में थे। दिनांक 04 दिसंबर तक,

समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए कानूनी रूप से विवाह करने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। दिनांक 18 मई की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा सरकार, एलजीबीटीक्यूआई+ अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की देखरेख में एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करने पर सहमत हुई।

दिनांक 13 फरवरी को, ओडिशा सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया ताकि सरकार में सेवा करने वाले किसी भी माता-पिता की मृत्यु के मामले में एकल, आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन का दावा करने की अनुमति मिल सके।

दिनांक 07 जुलाई को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वर्ष 1919 के 'तेलंगाना यूनूक्स् एक्ट' को रद्द कर दिया, जिसने पुलिस को ट्रांसजेंडर व्यक्ति, यदि वे "महिला परिधान में अथवा गहनों में सुसज्जित हैं और गायन, नृत्य अथवा सड़क पर सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेते हुए" पाए गए तो उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करने और उन्हें दो वर्ष तक की जेल की दंड देने की मनमानी शक्तियां प्रदान की थी।''

अगस्त माह में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को स्थानीय शासी निकायों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पॉट देने के लिए कदम उठाने का निदेश दिया। न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने जिला अधिकारियों को एक स्थानीय गांव के नेता को हटाने का भी निदेश दिया, जिसने उस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवंटित भूमि को रद्द करने की मांग की थी।

लिंग को विधिक मान्यता प्रदान करना: कानून ने अपने नागरिकों द्वारा लिंग पहचान को बदलने और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर सरकारी पहचान दस्तावेज, रोजगार के अवसर, लिंग की पुष्टि के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं तक पहुँचने के अधिकार को मान्यता दी। ऐसा प्रत्येक दृष्टांत, जहां किसी व्यक्ति ने अपना लिंग बदल लिया हो, उसे कानूनी रूप से वैध होने के लिए सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक राजपत्र में आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करवाना होगा।

टीपीआरए ने किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिंग को तीसरे लिंग में बदलने के लिए दो तरीकों का उपबंध किया है। पहला तरीका यह था जिसमें "ट्रांसजेंडर" व्यक्ति (टी) के रूप में अपनी पहचान बदलवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति को एक शपथपत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को एक

आवेदन करना होगा; पिछला चिकित्सा ब्योरा प्रदान करना आवश्यक नहीं था। मजिस्ट्रेट, चिकित्सीय अथवा शारीरिक जांच करने हेतु आग्रह नहीं कर सकता था। दूसरे, किसी व्यक्ति को पहले (टी) के साथ एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है और उसके पश्चात् वह पुन: (एम) या (एफ) में लिंग में बदलाव करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना कर सकता था। दूसरे प्रकार के आवेदन में शल्य चिकित्सा के प्रमाण की आवश्यकता होती है {(टी) से (एम / एफ)} या किसी भी "चिकित्सा हस्तक्षेप" के लिए, जिसमें परामर्श, 'हार्मोन चिकित्सा' या 'शल्य चिकित्सीय हस्तक्षेप' शामिल हो सकता है।

दिनांक 27 अप्रैल को, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि सभी शैक्षणिक संस्थान अपने आधिकारिक अभिलेखों में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों' के नाम और लिंग में परिवर्तनों को दर्ज करें।

अनैच्छिक अथवा जबरन चिकित्सीय अथवा मनोवैज्ञानिक प्रेक्टिस: कानून ने वयस्कों को उनकी व्यक्त सहमति अथवा यदि वे संसूचित सहमति नहीं दे सकते थे तो उस स्थिति में उनके नामित प्रतिनिधि की सहमति के बिना उपचार किए जाने को अवैध बना दिया। कानून ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरों को दवाओं के नुस्खे लिखने अथवा "उनके पेशे द्वारा अनधिकृत" उपचार करने को भी प्रतिबंधित किया। वर्ष 2018 में, 'इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी' ने उल्लेख किया कि समलैंगिकता कोई रोग नहीं है और किसी व्यक्ति के यौन झुकाव को बदलने के लिए "उपचार/चिकित्सा" के सभी रूप जो इस प्रकार के झुकाव को एक रोग मानते थे एक त्रुटिपूर्ण तरीके पर आधारित थे। वर्ष 2022 में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को 'तथाकथित रूपांतरण चिकित्सा' पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया और इसे "पेशेवर कदाचार" कहा।

अभिव्यक्ति, संगठन बनाने या शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: एलजीबीटीक्यूआई+ मामलों के संबंध में बोलने अथवा संबंधित कार्यक्रमों को विधिक रूप से पंजीकृत करवाने अथवा आयोजित करवाने के संबंध की सक्षमता में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की कोई जानकारी नहीं थी।

निशक्त व्यक्ति

कानून, निशक्त व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करता है। कानून द्वारा सरकार को निशक्त व्यक्तियों को भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और सार्वजनिक

परिवहन प्रणालियों तक समान पहुंच प्रदान करना अपेक्षित था और सामान्यत: कानून को लागू किया गया था। तथापि, निशक्तता अधिकार संगठन, द नेश्नल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्पलाइमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल्स, ने यह जानकारी दी कि सुलभ बुनियादी ढांचा हमेशा उपलब्ध नहीं था।

कानून में यह उल्लेख किया गया है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारणों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी शैक्षणिक संस्थान निशक्त बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें, जिसमें भेदभाव के बिना प्रवेश, खेल और मनोरंजन के अवसर, भवनों, परिसरों और सुविधाओं तक पहुंच और उचित आवास शामिल हैं। कानून के अनुसार, सरकार को वयस्क शिक्षा और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों में निशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने, संरक्षण प्रदान करने और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता थी।

सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद निजी क्षेत्र में निशक्त व्यक्तियों का नियोजन कम रहा। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में निशक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भेदभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक था, और देश में निशक्त व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत भाग निरक्षर था।

संस्थानों में रह रहे बच्चे: कानून के तहत ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से बीमार, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त, या एक लंबी अथवा लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे, उनके लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना अपेक्षित था। एक बार जब पुलिस, गैर सरकारी संगठन अथवा किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की पहचान कर ली जाती थी कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तो बच्चे को एक समिति के समक्ष उपस्थित होना होता है और उसे एक संस्थान एक संस्थागत देखभाल में रखा जा सकता है। बच्चे को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित सुविधा में रखा जा सकता है।

बाल कल्याण विशेषज्ञों ने कहा कि निशक्त बच्चों को सामान्यत: उसी आश्रय गृह में रखा जाता था जहां सामान्य बच्चों को रखा जाता था। ज्यादातर मामलों में, निशक्त बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के पास विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी थी। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि ग्रामीण जिलों में स्थिति अधिक कठिन थी, जिसमें निशक्त बच्चों को विशेष गृहों में रखने के लिए कई प्रावधान नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, कभी-कभार, किसी बच्चे को राज्य के भीतर दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता था।

अन्य सामाजिक हिंसा अथवा भेदभाव

धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों के विरूद्ध सामाजिक भेदभाव और हिंसा की अनेक रिपोर्टें थी (देखें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस् की *अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट*)।

ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें थी कि आतंकवादी समूह मवेशियों की ढुलाई अथवा उनका वध करने हेतु मुसलमानों और दलितों की हत्या कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने सतर्कता के इन कृत्यों को कम करने के लिए वर्ष 2018 में दिशानिर्देश जारी किए। बीस राज्यों में गोहत्या पर आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाले कानून थे।

दिनांक 16 फरवरी को, हरियाणा पुलिस ने भिवानी जिले में एक जली हुई कार में दो लोगों के शव पाए, जिन्हें उन्होंने बाद में, राजस्थान के भरतपुर जिले के दो मुस्लिम पुरुष, मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद नासिर के रूप में पहचाना। मीडिया रिपोर्टों और पुरुषों के रिश्तेदारों के अनुसार, जुनैद और नासिर पर हरियाणा में एक रिश्तेदार से मिलने के दौरान गाय की तस्करी का आरोप लगाया गया था और कथित रूप से उनकी कार को एक गौरक्षक समूह के सदस्यों द्वारा रोका गया था। सतर्कता समूह के सदस्यों ने कथित तौर पर दोनों लोगों को पीटा और उन्हें दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सतर्कता समूह के सदस्य, दोनों पुरुषों को लगभग 100 मील दूर ले गए और उनकी कार में आग लगा दी, जबकि दोनों लोग अभी भी कार के अंदर थे। अगस्त माह तक, घटना में शामिल होने के लिए 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। धार्मिक समुदायों के बीच हिंसा की विश्वसनीय रिपोर्टें थी। दिनांक 13 मई को, महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक दंगाई भीड़ ने कथित तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी और आठ अन्य को घायल कर दिया, जब एक दक्षिणपंथी हिंदू नेता ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। पुलिस ने 147 लोगों को गिरफ्तार किया और थोड़े से समय के लिए शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भेदभाव की अनेकानेक अन्य रिपोर्टें थी। दिनांक 09 फरवरी को, गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा शहर में दो हिंदू व्यक्तियों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति को एक दुकान की बिक्री की मंजूरी को बरकरार रखा। दस हिंदू याचिकाकर्ताओं ने गुजरात राज्य कानून के तहत बिक्री पर आपत्ति जताई, जोकि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना

विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच संपत्ति लेनदेन को प्रतिबंधित करता है। न्यायालय ने 10 याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया।

तेरह राज्य सरकारों ने विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून बनाए थे। सामान्यत: व्यवहार में, इनका उपयोग गैर-हिंदू धर्मों में धर्मांतरण और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए किया जाता था।

कानूनों के समर्थकों ने कभी-कभार उन्हें "लव जिहाद" को रोकने के लिए एक साधन के रूप में दर्शाया, जिसका उपयोग मुस्लिम पुरुषों द्वारा धर्म परिवर्तन के उद्देश्यों से हिंदू महिलाओं से विवाह करने के प्रयास के रूप में किया जाता था।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा नागरिक समाज के संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे सिखों और मुसलमानों और राजनीतिक विपक्ष के विरूद्ध दुष्प्रचार की रणनीति का उपयोग करने और कभी-कभार उन्हें सुरक्षा खतरों के रूप में बताए जाने के संबंध में अनेक प्रेस और नागरिक समाज की रिपोर्टें थी।

जून माह में, महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में महाविद्यालय के अधिकारियों ने एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह द्वारा महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में इस्लामी प्रार्थना के पाठ और अवैध धर्म परिवर्तन के आरोपों पर आपत्तियों के बाद प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया था। इसके बाद, पुलिस ने निकम के विरूद्ध शिकायत दर्ज की।

कानून, रोजगार और व्यवसाय के संबंध में जाति, स्त्री अथवा पुरूष, लिंग, निशक्तता, भाषा, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान अथवा सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। एक अलग कानून ने एचआईवी अथवा एड्स ग्रसित व्यक्तियों के विरूद्ध भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया। कानून, संचारी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के विरूद्ध भेदभाव अथवा रंग, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता के आधार पर रोजगार में भेदभाव को वर्जित करता है।

विदेशी प्रवासी श्रमिक, व्यापक रूप से बिना दस्तावेज के रहते थे और सामान्यत: उन श्रमिकों के लिए उपलब्ध विधिक सुरक्षा का लाभ नहीं ले पाते थे जो देश के नागरिकों को उपलब्ध थे।

भाग 7. कामगारों के अधिकार

क. संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक रूप से सौदेबाजी का अधिकार

कानून, संघों के गठन करने और उनमें शामिल होने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार प्रदान करता है लेकिन नियोक्ताओं के लिए एक संघ को मान्यता प्रदान करने अथवा सामूहिक सौदेबाजी करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। संघों को मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी उद्यम में कम से कम 100 सदस्य अथवा कार्यबल का 10 प्रतिशत (जो भी कम था) होना अपेक्षित था और सामूहिक सौदेबाजी करने के लिए संघ में दो-तिहाई कार्यबल शामिल होना चाहिए था। सिक्किम में, ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित था, और जनता, संघ के पंजीकरण पर आपत्तियां उठा सकती थी।
कानून, हड़ताल करने का अधिकार प्रदान करता है लेकिन कुछ श्रमिकों के लिए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। अनिवार्य शिकायत निवारण समिति विधिक और सामूहिक समझौतों में अन्य सुलह और शिकायत प्रक्रियाओं के अलावा, सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से शिकायतों को निपटाने के लिए पूर्व शर्त थी। निर्यात-प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) में, ईपीजेड को "सार्वजनिक उपयोगिता" के रूप में चिह्नित किए जाने के कारण 45 दिवस का एक नोटिस दिए जाना अपेक्षित होता है। कानून, सरकार को शासकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है और विनिर्दिष्ट "अनिवार्य उद्योगों" में मध्यस्थता को अपेक्षित करता है। "अनिवार्य उद्योगों" की परिभाषाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। कानून, कानूनी हड़तालों में शामिल होने के लिए 'एंटीट्रस्ट' डिस्क्रिमिनेशन' और 'रिट्रीब्यूशन' को प्रतिबंधित करता है और संघ के क्रियाकलापों के लिए निलंबित किए गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली का उपबंध करता है। सामान्यत:, संघ के नेता सरकार और नियोक्ताओं से धमकियों और हिंसा से मुक्त होकर काम करते थे। नियोक्ताओं ने शायद ही कभी, श्रमिकों के नेतृत्व वाले संघों के साथ सौदेबाजी करने से इनकार किया हो।
कानून का प्रवर्तन, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। सामान्यत:, कानून का प्रवर्तन, बड़े, संगठित क्षेत्र के उद्योगों में बेहतर था। आमतौर पर, प्राधिकरणों ने औद्योगिक क्षेत्र में वैध श्रमिक संघ के क्रियाकलापों को धमकाने अथवा उनके दमन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और दंडित किया। सिविल न्यायिक प्रक्रियाओं ने दुर्व्यवहारों पर कार्रवाई की क्योंकि श्रमिक संघ अधिनियमों में इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए दंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। दंड अन्य कानूनों के अनुरूप थे, जिनमें नागरिक अधिकारों, जैसे कि भेदभाव, से वंचन शामिल था। कभी-कभार उल्लंघनकर्ताओं के

विरूद्ध दंड लगाए गए थे। विशेष श्रम न्यायालय, श्रम विवादों का न्यायनिर्णन करती हैं, लेकिन लंबे समय तक विलम्ब और अनसुलझे मामलों का बैकलॉग था।

सामान्यतया नियोक्ता, संघ बनने की स्वतंत्रता और औपचारिक औद्योगिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से संगठित होने और सौदेबाजी करने के अधिकार का सम्मान करते थे, लेकिन बड़ी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नहीं। अधिकांश संघ के सदस्यों ने औपचारिक क्षेत्र में कार्य किया और श्रमिक संघों ने कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की एक छोटी संख्या का प्रतिनिधित्व किया। सदस्यता-आधारित संगठनों जैसे स्व-नियोजित महिला संघ ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सफलतापूर्वक संगठित किया और उन्हें अपने कार्य या उत्पादों के लिए उच्च भुगतान प्राप्त करने में मदद की। 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' ने 'ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन' जैसे संगठन भी बनाए, जिन्होंने वर्ष के दौरान प्लेटफॉर्म खातों के रखरखाव के लिए बढ़ी हुई मजदूरी और उचित रेटिंग और प्रतिक्रिया संबंधी अपेक्षाओं के लिए प्रदर्शन किया।

अनुमानित 80 प्रतिशत संघीकृत श्रमिक, पांच प्रमुख श्रमिक संघों में से एक किसी एक के साथ संबद्ध थे। संघ, सरकारों से स्वतंत्र थी, लेकिन पांच प्रमुख संघों में से चार प्रमुख संघ, बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े थे।

राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों ने कभी-कभार संघों के पंजीकरण में बाधा डाली, संघ के स्वतंत्र क्रियाकलापों का दमन किया और हड़तालों को अवैध घोषित कराने और जबरन न्यायनिर्णयन हेतु अपनी शक्ति का उपयोग किया। श्रम समूहों ने जानकारी दी कि कुछ नियोक्ताओं ने स्थापित संघों को मान्यता प्रदान करने से इनकार करना जारी रखा, और कुछ ने इसके बजाय स्वतंत्र संघों को बनने से रोकने के लिए "श्रमिक समितियों" और नियोक्ता-नियंत्रित संघों की स्थापना की। सामान्यत: ईपीजेड अस्थायी अनुबंधों पर श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के अलावा, ईपीजेड में संघ आयोजकों की पहुंच प्रतिबंधित थी।

ख. जबरन अथवा अनिवार्य श्रम निषेध

डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस् की वार्षिक रिपोर्ट 'एनूअल ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट को https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ पर देखें ।

ग. बाल श्रम का निषेध और नियोजित किए जाने की न्यूनतम आयु

डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के जांच परिणाम को *'फाईंडिंग ऑन द वर्स्ट फार्म ऑफ चाइल्ड लेबर को* https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/. पर देखें ।

घ. भेदभाव (देखें भाग 6)

ङ. कार्य की स्वीकार्य स्थितियां

मजदूरी और कार्य के घंटों के संबंध में कानून: राज्य सरकार के कानून न्यूनतम मजदूरी और कार्य के घंटे निर्धारित करते हैं। दैनिक न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग थी, लेकिन गरीबी स्तर की आय के आधिकारिक अनुमान से अधिक थी। राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों के लिए एक अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है।

कानून, अधिकतम आठ घंटे के कार्यदिवस और 48 घंटे के कार्यसप्ताह के साथ-साथ सुरक्षित कार्य स्थितियों को अधिदेशित करता है, कानून, कार्य के प्रत्येक चार घंटों के बाद न्यूनतम 30 मिनट की विश्रान्ति अवधि और ओवरटाइम के लिए 'प्रीमियम' वेतन को अधिदेशित करता है लेकिन यह भुगतान की गई छुट्टियों को अधिदेशित नहीं करता है। कानून, अनिवार्य ओवरटाइम को प्रतिबंधित करता है और एक कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले ओवरटाइम की प्रमात्रा को सीमित करता है।

व्यावसायिक संरक्षा और स्वास्थ्य जिसमें शौचालय, खानपान गृह, चिकित्सा सुविधाएं और संवातन के लिए व्यवस्था शामिल हैं। कानून ने सुरक्षित काम करने की स्थिति को अधिदेशित किया, जिसमें शौचालय, खानपान गृह, चिकित्सा सुविधाएं और संवातन के लिए व्यवस्था शामिल हैं। संघीय कानून ने व्यावसायिक संरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को निर्धारित किया है। राज्य सरकारों ने अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट विनियम लागू किए। सरकार द्वारा निर्धारित ओएसएच मानक देश के मुख्य उद्योगों के लिए उपयुक्त थे।

छोटे, कम प्रौद्योगिकी वाली फैक्टरियों में श्रमिकों ने जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य किया। बिना दस्तावेजों विदेशों में कार्य करने वाले श्रमिकों को बुनियादी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बचाव प्राप्त नहीं हुआ। अनेक मामलों में, श्रमिक अपने रोजगार को खतरे में डाले बिना

उन स्थितियों से खुद को दूर नहीं कर सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालती हैं।

मजदूरी, घंटे तथा ओसएच संबंधी प्रवर्तन : राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी, समयोपरि और ओएसएच को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। सामान्यत:, निरीक्षकों की संख्या, श्रम कानून को लागू करने के लिए अपर्याप्त थी। निरीक्षकों को अघोषित निरीक्षण करने का अधिकार था तथा निरीक्षण का स्थल यादृच्छिक आधार पर चुना जाता था। निरीक्षकों को नियोजकों को आरंभ में एक चेतावनी देने तथा अनुपालन हेतु समय देने के उपरांत उल्लंघनों के लिए दंड वसूलने तथा अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति थी। ओएसएच मानकों का प्रवर्तन उचित नहीं था। ओएसएच मानकों के उल्लंघन के लिए दंड, लापरवाही जैसे अपराधों के अनुरूप थे। कभी-कभार उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दंड भी लगाया जाता था।

हाथ से मैला ढोना – सीवर लाइनों अथवा सेप्टिक टैंक से हाथ से मानव मल को हटाने की प्रथा– कानून द्वारा प्रतिबंधित थी, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित है। दिनांक 25 जून को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, रामदास अठावले ने संसद के निचले सदन को बताया था कि हाथ से मैला ढोने से देश में कोई मौत नहीं हुई हैं। वर्ष के दौरान सेप्टिक टैंक अथवा सीवर की सफाई जैसी जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने के दौरान "सफाई कर्मचारियों" की नौ मौतें हुईं। माननीय मंत्री, श्री अठावले ने कहा कि वर्ष 2018 और 2022 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दुर्घटनाओं में 339 लोगों की मृत्यु हुई। हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की दिशा में काम करने वाले संगठनों ने दावा किया कि डेटा को "पूरी तरह से कम करके बताया" गया था और जुलाई तक हाथ से मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों की कम से कम 57 मौतें हुई थी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 380 मिलियन "असंगठित श्रमिक" थे, जिन्हें "घर से काम करने वाले श्रमिक, स्व-नियोजित श्रमिक, अथ्वा असंगठित क्षेत्र में एक दिहाड़ी मज़दूर" के रूप में परिभाषित किया गया है। ''मजदूरी, घंटे और ओएसएच मानकों संबंधी कानून, व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र पर लागू नहीं होते थे, और सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू नहीं किया था। विधि और विनियमों ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (उद्योग और प्रतिष्ठान जो कारखाना अधिनियम के क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आते थे) की रक्षा नहीं की, जोकि अनुमान के अनुसार कुल श्रमबल का 90 प्रतिशत थे।